you going to speak in Tamil?

SHRI S.S.CHANDRAN (Tamil Nadu) : Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't say anything by which he will get angry, because I know that both of you have different channels. There might be a channel fight.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Madam.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to speak first, Nilotpal Ji? Since, you were away, I have called Shri S.S.Chandran. Let him finish first. It is only a matter of seven minutes. Then, I will call you.

THE CABLE TELEVISION NETWORKS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2002 - *(contd.)*

*SHRI S.S.CHANDRAN (Tamil Nadu): Madam, Deputy Chairman, whenever I rise to speak, your goodself are in the Chair. I feel happy about it. I thank you Madam, for giving me this opportunity to put forth my views on the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2002 on behalf of AIADMK. Section 4A, sub-section (2) of this Bill seeks to empower the Centre to direct the cable operators to provide programmes of entertainment, information, education etc in public interest if the Centre so desired. I welcome this provision. At the same time I wish to bring an important point to the notice of the Hon. Minister. The State Governments also launch schemes and projects pertaining to education social welfare etc. Even many central schemes are being implemented by the States. Therefore the State Governments also attempt to reach various scheme-related information to the people. But the Cable TV Network, which reach a large number of people is under the Central Government. So I want the Hon. Minister to clarify a point. If State Governments want disseminate such information to people through Cabie TV Network, will the Centre allow this under section 4A(2)? I hope the Hon. Minister will clarify this point. Madam, in Tamilnadu, the Hon.Chief Minister and our respected leader Dr. Puratchi

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

Thalaivi Amma is implementing various welfare schemes for the people. I request Madam Minister to tell the House whether information about those schemes will be disseminated through the cable network. In the rural areas, still there are lots of illiterate people. If information about these schemes are provided through Cable network, those unlettered people will be able to understand them easily. I request the Hon.Minister to take a positive view of this and do the needful.

Madam, Deputy Chairman, in the Statement of Objects and Reasons, it is stated that in 1995 this law was enacted for achieving some objectives of which avoidance of undesired programmes was one. But this objective has not been fulfilled. Because, the FTV and MTV do not allow people to have sound sleep. Even if adults do not see, their children sit and watch FTV and MTV beyond 11pm. This not only damages our culture but also results in excessive consumption of electricity. Here I am reminded of the cinema industry. Films are produced spending crores of rupees. Those films are censored before public view. Madam, in our Rajya Sabha also there are rules and norms by which we are bound while speaking here. But the FTV and MTV that are viewed in India have no such censor. They are free to telecast anything. I request the Hon. Minister to see as to how to have control over these TV Channels to stop them from telecasting such programmes.

It is said that there are about 4 crore cable connections in the country. On an average, if we take that five people watch TV through one connection, about 20 crore people have access to cable TV. All these people are free to watch even FTV and MTV anytime they like. But films are shown in some theatres for few weeks or months. These movies are made by Indians keeping in mind our cultural ethos and the society. But such films are censored on flimsy grounds. Sometimes vital portions are censored. Since the Hon. Minister of Information and Broadcasting is here, I am tempted to say all this. I am happy that a lady Minister is heading this Ministry. As I belong to the cinema industry, I request the Hon. Minister to see that films are not unnecessarily censored.

Madam, I wish to make an important point here. When we talk of cable TV network, we think of only cities like Delhi and Mumbai. In fact, cable TV has provided self-employment to lakhs of youth in the rural areas. Many educated youth are engaged in this cable TV Network. Though we

are discussing about cable TV operators, we tend to ignore the satellite channel owners. Some channels are indulging in telecasting fabricated news items for popularity. During the Gujarat violence few months before, it was said that telecast of fabricated stories were responsible for the spread of violence there. I do not want to go into the details of it. Madam, now I come to another important aspect. Let us suppose there is private satellite channel in a state opposed to the ruling party in that state. In order to create law and order problem and to spread violence in the State, that private channel might telecast false propaganda and fabricated news items. This can lead to religious and other such violence in the state. However, it is the State Government that has deal with such law and order problem. If State Government demands banning of such news items or programmes that could lead to law and order problem in the State, the Centre should ban telecast of such programmes. Such TV channel should be banned and also booked under criminal code and if possible under POTA. I once again request the Hon. Minister to take note of the fact that the cable TV operators are in fact self-employed through their own means wherein there are educated youth as well. Their interest should also be protected. The Hon. Minister has said that the consumer should pay only for those channels that he is watching. This is a welcome decision. I thank the Hon.Minister for this. *(Time Bell)* Madam, I expected your bell and that is why I have already started winding up. I thank you Madam, once again.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Thank you, Madam Deputy Chairperson. At the very outset, I must concede that I am a little surprised by this Bill; surprised on two counts. In the past, in this very House, we have seen the Information and Broadcasting Minister getting an Ordinance promulgated by the President, not pursuing the Ordinance in this House; and allowing the Ordinance to lapse, but having the effect of the Ordinance to remove the then Chief Executive Officer of the Prasar Bharti Corporation. And, if we go into the record of how this legislation is being brought, after the Cabinet passed this legislation, within six days, it was brought to the Lok Sabha, the other House; and within a day, that House passed this piece of legislation. Now, this tearing hurry; I do not understand and that is why I am surprised. Parliament, in its wisdom, has given to itself the mechanism of Parliamentary Standing Committees attached to the Ministries, to properly scrutinise and examine Bills so that the quality of legislations can improve. I understand that one constant refrain was that this legislation has to be passed swiftly and, therefore, it should not be routed through the

Standing Committee. But, ultimately, today, when we are considering this Bill, we have already taken about three months. I believe that the Standing Committee could have, by this time, come out with its report whereby the quality of the legislation that we are considering could have been improved beyond recognition. Now, the question is, what are we considering here? Now, elsewhere this Government is characterised by speaking through many voices. But rarely do you have a scenario where in terms of legislation also, the Government seems to be pursuing completely different agendas. Why do I say this? Because we know that this House, along with the other House, has referred the Convergence Bill to a Standing Committee. What is the need for the Convergence Bill? Everybody knows that all the three sectors, i.e., information, communication and broadcasting are merging in the background of the technology changes where analogue technology in the broadcasting sector is giving way to the digital technology in the same sector. Therefore, when the Government is placing the proposed legislation before the Parliament to go towards the digital regime, here is a Bill which talks about changes which are aimed at perpetuating the analogue technology.

Madam, through you, I would like to know from the hon. Minister as to what has been indicated in section 4(A) of the proposed Bill and as to why you are having a situation where the consumers will have to buy a SET Top Box which is on the basis of the analogue technology. In another piece of legislation, you have proposed transformation of the sectors concerned towards digital regime. How long this SET Top Box can be used by the consumers? That is the moot question. If, within a couple of years, as the Convergence Bill presupposes, it comes into being, this SET Top Box for the pay channels, which the consumers have to buy, will have to be thrown in the garbage bin. Do we consider that for such a short time the consumers have to be subjected to this? This is number one.

Secondly, there is also a very questionable provision in section 4(A)(2) which reads like this: "If the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, specify one or more free-to-air channels to be included in the package of channels forming basic service tier, and any or more such channels may be specified, in the notification, *genre-wise* for providing a programme mix of entertainment, information, education and such other programmes." We are given to understand that the Task-Force which was

created to formulate this Bill has suggested that the Government would assume the power to specify any channel, not only the public telecaster, but telecasting the Doordarshan channels would be a must. Now, we have a situation where we may have a number of free-to-air channels which will be excluded from the basic tier because the slots available in the basic tier are not limited to the number of free-to-air channels. Therefore, the Government, in effect, is assuming powers to decide as to which particular free-to-air channels will be beamed by the cable operators. This is a huge discrepancy, and I think, this also is against the very grain of fundamental right which is enshrined in our Constitution.

Then, the second question is about section 4(A)(3). It states, "The Central Government may specify in the notification referred to in sub-section (2), the number of free-to-air channels to be included in the package of channels forming basic service tier for the purposes of that sub-section and different numbers may be specified for different States, cities, towns or areas, as the case may be." What did the Task Force recommend? It didn't, at all, recommend the control of the number of channels. This would reduce the freedom of choice, as I have stated earlier.

I now come to the point of technology regime. I am interested more in that. My point is, the basic objective of this piece of legislation, as has been articulated by the Minister for so long, is to bring to an end, to a great degree, all the disputes between the channel providers and the master cable operators. I am given to understand that this analogue technology has an inherent deficiency; it can be tampered with. Therefore, if the set-top box, which will be controlled by the cable operators, is tampered with, and if there is under-reporting, then the dispute between the operators and the channel providers would continue to be there. I don't understand why the Minister has missed this point.

First of all, the operational effect of this Bill would be till the time when the Convergence Bill is passed. Once the Convergence Bill is passed, the Communication Commission would also have, under its purview, the broadcasting sector. In that kind of a situation, you tend to create a situation where the subscribers, who would like to watch the 'pay' channels, would have to buy the analogue set-top boxes, which can be easily tampered with. When the question of under-reporting is bothering the Government and the Minister concerned, the same question would continue

to remain even at this stage. When this basic deficiency with the analogue technology still remains, I don't really understand the purpose of this Bill. For how long will it remain valid? I don't understand this point. In all cases... Madam Minister, आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं, तो बोल सकती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे जो बोलना है वह मैं अपने भाषण में बोलूंगी।

श्री नीलोत्पल बसु : आप टिप्पणी कर रही थी इसलिए मुझे लगा कि आपकी दिलचस्पी कुछ बोलने में हैं।

उपसभापति : बोलना तो मुझे है। आपका बोलने का समय खत्म हो गया है।

श्री नीलोत्पल बसु : मैडम, मैं अपनी स्पीच खत्म करने वाला हूं। मैं आपसे डरता हूं। This piece of legislation is based on a false premise, in the sense, if you go and watch in the international arena, there are a number of countries in which such set-top boxes are not made mandatory for 'pay' channels. Actually, certain things are determined by the market forces. It is not that I am a market ideologue, not that I am for market reforms. But, since your entire presumption for bringing in this Bill is based on the market principle, then it is the market principle which would determine all those things-which one would be on the basic-tier, which one would be on the pay-tier. All these things would be decided by the market.

Therefore, I don't understand why the Government is assuming such sweeping powers when it is the market forces that would determine all those things. Given the record of this particular Government, and its enthusiasm in using the Information and Broadcasting Ministry as some kind of a 'cultural commission', which we used to have, in those "bad old days of the evil empire", I think, the same kind of trend has become visible now.

Therefore, Madam, in the present form, this Bill would only increase the ultimate burden, to be borne by the subscribers; because, right now we pay Rs. 150 per month for our cable operator; and this payment will be made for the basic-tier; for the pay-tier, I think, it would be another Rs.250-300. Instead of reducing the burden on the consumer, I think, it would simply increase the burden. I would be very happy, as a subscriber of cable network, if I am proved wrong, but this is my understanding.

We were expecting that certain issues would be addressed in this

Bill, for example, cartelisation of operators. I had this experience. Now, my cable operator is actually providing very bad service. So, I threatened that I will terminate his service and I would take services of the other fellow who was providing these services. Now, the other fellow tell me "साहब, हम यह नहीं कर सकते ।" अगर पूछों कि क्यों नहीं कर सकते तो कहते हैं "सही है साहब, जो जहां पर है, वहीं रहेगा ।" So, they decide everything in between them. Therefore, in terms of pay channels also, ultimately what price the subscriber has to pay, can be determined on the basis of such emerging trends appearing in the cable operation business and cartelisation is definitely going to have an impact. So, that portion of what will happen to the Ministries or the Ministers or the Governments, over anxiety over settling disputes between the cable operators and the channel providers has totally forced it to ' overlook the problems the consumers or the subscriber may finally have to face. Therefore, we, as a party, are not in a position to support this Bill. I would still urge, Madam Minister, that if you agree, we can have a Select Committee, we can have a time-barred thing and make certain improvements which I think are very necessary for this legislation. In any case, this Bill and the effect of this Bill is going to be very,very short-lived in the light of the other legislations that the Government has brought forward before us. Thank you.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak. The Government has stepped in when there is an apprehension that cable TV operators are fleecing the subscribers by overcharging the subscription rate. Earlier when cable TV operators were an unregulated lot, the parent Act of 1995 was brought in with an intention to regulate the cable TV operators. Registration was provided under Section 3 of the parent Act of 1995. There was no licensing procedure. Mere registration was sufficient. Therefore, the cable TV operators were expected to register themselves with the Head Post Offices of the local areas. But there were certain litigation and particularly in the Madras High Court there were litigations where the existing operators never wanted any new entrants in the field. Therefore, they filed writ petitions before the Madras High Court challenging that there cannot be any new entrants. They claimed territorial jurisdiction. In the year 1999, these writ petitions were filed in the High Court. Prior to the Central Act of 1995, there was a State Act in the year 1984, which was amended in 1991, to provide for licensing. Some of the operators who were operating had already obtained licences. Therefore, they pleaded before the Court that licences

were necessary and the new entrants who were expected to register themselves under the Central Act, did not obtain the licences, required to be obtained from the State Government under the State Act. The Central Government was also a party to those writ petitions which were filed before the Madras High Court. I do not know whether the hon. Minister is aware of those writ petitions. I will give the numbers, writ petition No. 14177 of 1999 and writ petition No.544 of 2000. All these writ petitions were decided on 16.3.2000 and the High Court ruled "after coming into force of the Central Act of 1995, the State Act has had no force at all. The licensing procedure need not be there. A mere registration is sufficient." More or less, during the same period, there was another Writ Petition No. 1285 of 2000, decided on 31st January, 2000. In this Writ Petition also, a similar question arose and the High Court of Madras observed, "The cable TV operators will decide the subscription amounts, and the choice of the channels, timings, advertisements, etc. There is, absolutely, no scope for making any complaint to any authority or is there any provision for taking any action on the complaints to be made by the subscriber." This is the specific observation made by the High Court of Madras. I am glad that this observation of the High Court is being replied through this piece of legislation.

Madam, with the insertion of new section 4(A) 1-9, the Government has now sought to regulate not only the package given by various channels but also can now decide about the maximum ceiling limit of the subscription amount. The Government is also empowered to ask for submission of the annual returns, number of subscribers in each category, etc. These are the welcome features of the Bill. The Bill clearly shows that the Government is very serious on this. The Government has brought forward an amendment to Section 16 under which the offence has been made cognizable. The contravention of Clause 4(A) is made cognizable. This is a very welcome step.

With these words, I once again welcome the Bill. Thank you.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 जो अभी माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, यह बहुत सामयिक है और बहुत हद तक यह दर्शकों को राहत पहुंचाने का भी काम करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन दर्शकों के मन मे इस संशोधन को लेकर बड़ी शंका भी है कि ऐसा न हो कि आसमान से टपकें और खजूर में अटक जाएं। उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ने वाला है,

उससे वे परेशान हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मनोरजंन और सूचना, दोनों से ही वंचित हो जाएं, उस आर्थिक बोझ को बरदाश्त न कर पाने के कारण।

उपसभापति महोदया, देश में बीस से पच्चीस करोड़ दर्शक केबल के ऊपर निर्भर रहने वाले दर्शक कहे जा सकते हैं लेकिन दर्शक कितना पे करे और उसके बदल में उसको कितनी सेवा मिले, इसके लिए न तो कभी सरकार द्वारा ध्यान दिया गया और न किसी अन्य ने ध्यान दिया। भारत के दर्शक केबल ऑपरेटर की मरजी पर हैं, वह जब चाहे उसको सूचना से भी वंधित कर सकता है और मनोरजंन से भ वंचित कर सकता है। चाहे वह जितना इंस्टॉलेशन चार्ज ले ले और चाहे तो केबल का पूरा समूह दिखाए या न दिखाए। अगर आप उससे शिकायत करेंगे तो वह आपको आंखे दिखाएगा। इस तरह से इनकी मोनोपोली चल रही है जैसा कि अभी नीलोत्पल जी ने भी कहा। मेरे साथ भी यही हो रहा है कि दो हजार रूपए से ज्यादा इंस्टॉलेशन चार्ज ले लिया और उसके बाद वह पूरा केबल समूह नहीं दिखा रहा है। जब दूसरे केबल ऑपरेटर से हमने कहा कि भाई, तुम दे दो अपना कनेक्शन, तो उसने कहा कि नहीं, यह तो हमारे नियमों के खिलाफ है, जो आपको कनेक्शन देता है वही देगा। तो हमारी सेवा हमको कैसे मिले? इस पर कोई नियंत्रण नहीं हैं और इसके कारण दर्शक बहुत परेशान है । चैनल माफिया होते चले जा रहे हैं , इनके कार्टेल बन गए हैं । जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा कोई भी केबल ऑपरेटर आपको सेवा नहीं देगा। ये अपने शिकंजे से आपको निकलने देना नहीं चाहते । इनकी ऐसी मिलीभगत बन गई है, हर समय ये किराया बढ़ाने की धमकी देते हैं, और इन्होंने अपने-अपने समूह बना लिए है। अगर आप देखना चाहे तो भी और न देखना चाहें तो भी आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा। इसलिए आज दर्शक को अधिकार चाहिए। वर्तमान कानून उपभोक्ता को कोई सरंक्षण नहीं दे पा रहा था। टी.वी. देखना जनता की आदत बन चुकी है पर केबल वालों की मनमानी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लगभग सौ से ज्यादा चैनल हैं, पचास करोड़ हमारे दर्शक हैं पर न तो चैनल वालों परकोई अधिकार है, न केबल वालो पर। बॉडकास्टिंग ऐक्ट का सार यही था कि दर्शक बड़ा अनाथ है, उसको कोई पुरसाहाल नहीं है। पे चैनल के गिरोह मे केबल टीवी ऑप्रेटर ने जो लूटने का सिलसिला चला रखा है, इससे देश के आम आदमी की गर्दन मरोड़ी जा रही है। मजेदार पहलू यह है कि इन पे चैनल्स में से अधिकांश के मुख्यालय विदेशों में हैं और वहां से ये लोग जनता पर माफिया गिरोह की तरह धौंस जमा रहे हैं और उसका दोहन कर रहे हैं। पे चैनल की दादागिरी भारत के केवल व्यवसाय को एकदम खत्म कर देना चाहता है। पे चैनल वाले मनमाने तरीके से हर तीसरे माह टीवी की सेवा देने वालों को मजबूर कर रहे हैं कि उनकी बढ़ी हुई दर से वे पेमेंट करें, नहीं तो उनका कनेक्श्न काट दिया जाएगा। इसी दिल्ली शहर में कही साढे तीन सौ रूपए ले रहे हैं , कहीं चार सौ रूपए ले रहे हैं और कहीं सौ रूपए मासिक ले रहे हैं। एक लूट सी मची हुई है, एक मनमानापन चल रहा है, एकाधिकार चला है। ये माफिया लोग जो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए आपने जो आगे कदम बढ़ाया है, यह कुछ मायनो में बहुत सही है। पिछले पांच वर्षो में जो इन्होंने एक हजार प्रतिशत शुल्क बढ़ाया है, इतना तो किसी भी उद्योग में नहीं बढ़ा है जितना इन्होंने बढ़ा रखा है। उपभोक्ता परेशान है कि वह शिकायत करने कहां जाए, किससे कहें। उसके पास कोई ऐसा साधन या ऐसा कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, जिसके पास जाकर वह शिकायत करें। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को शुल्क के संबंध में एक समान नीति चाहिए ताकि इनके मनमानेपन पर रोक लग सके। यह बात सच

है कि देश के हर हिस्से की स्थिति एक सी नहीं है। हर राज्यों की स्थिति अलग-अलग है। ग्रामीण क्षेत्र का अलग मामला है और शहरी क्षेत्रों का अलग भुगतान होना चाहिए। लेकिन इस तरह से कहकर उपभोक्ता को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि संचार और सूचना का युग है। इसमें टीवी देखना हमारे लिए कोई लग्जरी की बात नहीं है। यह आज हमारी नेसेसिटी बन गई है। सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करे, उस पर कड़ी निगरानी करे ताकि वह शोषण से बच सके और हमारे जो छोटे-छोटे केबल आपरेटर हैं वे भी इन माफिया के अत्याचारों से बच सकें। इसलिए शुल्क बढ़ाने की प्रवृत्ति को आपको नियम के नकेल से बांधना पड़ेगा ताकि उपभोक्ता को भी न्याय मिल सके। पे चैनल न तो टीआरपी रेटिंग जोड़कर अपना भुगतान लेने के लिए तैयार है और न सीएस सिस्टम पर राजी है और न ही से लाइसेंस फीस देते हैं, न ही से मनोरंजन कर देते हैं। सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति यह है कि मनोरंजन की सारी सामग्री ये पे चैनल वाले देते हैं और वे कोई कर नहीं देते हैं । कर कौन देता है, वह केबल आपरेटर को देना पड़ता है क्योंकि वही जिम्मेदार माना जाता है । इस संदर्भ में अगर माननीय मंत्री जी जो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ला रही हैं तो उपभोक्ता को राहत देने की बात कर रही है। कुछ मायने ने उपभोक्ता को राहत मिल भी सकती है लेकिन इस सिस्टम के अंतर्गत एक सैट टॉप बॉक्स खरीदा जाएगा जो मैंने कहा कि अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने वाला है। इस सैट टॉप बॉक्स की कीमत सात-आठ हजार है। उपभोक्ता जो मिडिल क्लास का है वह किसी तरह से इंस्टालमेंट पर टीवी ले आता है तो वह यह सात हजार का बॉक्स कैसे खरीदेगा। अगर खरीद भी लेता है तो आने वाले दिनों में उसका यह बॉक्स बेकार हो जाएगा और टीवी देखने का वह आदि है इसलिए वह परेशान है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इसकी कीमत को वे किस तरह से नियंत्रित करेगी। क्या इस पर कोई सब्सिडी देने का इरादा है या आसान किश्तों पर दिलवाने की कोई व्यस्था करेंगी? नए सिस्टम के अन्तर्गत, इस सैट टॉप बाक्स के सहारे कैसे उपभोक्ता इस टीवी से सूचना और मनोरंजन प्राप्त कर सकेगा? ...(समय की घंटी)...

उपसभापति : आपके चैनल का टाइम खत्म हो गया। We want to switch on to another channel.

श्रीमती सरोज दूबे : इससे अच्छा तो उपभोक्ता यह भी सोच सकता है कि सात-आठ हजार हम इकट्ठा खर्च करे इससे बेहतर है कि सौ, दो सौ रूपए महीना देकर मनोरंजन प्राप्त कर सके। सरकार के हाथ में बड़ी ताकत होती है, वह किस तरह से इसको व्यवस्थित करेगी, मैं इसका जवाब चाहूंगी। इसके बाद यह भी कहना चाहूंगी कि कंवर्जन बिल जो अभी प्रतीक्षा में है, जब वह आ जाएगा तो यह जो सात-आठ हजार का सैट टॉप बॉक्स है इसका क्या होगा। इसके बारे में भी आपको कुछ बताना पड़ेगा। हम इस समय आप्टीकल फाइबर युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें एक ही सेवा के द्वारा टीवी, इंटरनेट, केबल और टेलीफोन आ जाएगा। जब यह भी पास हो जाएगा, आगे पीछे करके पास हो जाएगा तब यह जो हमारा अतिरिक्त खर्च हो गया है, इसका क्या होगा ? केबल वाले और दर्शक, जब सब मिलकर इसको खरीदेंगे तब उनका क्या होगा? इन सारी बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शुल्क है, जो उपभोक्ता के ऊपर हर महीने केबल वालों द्वारा वसूला जाता है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक रेग्युलेट हो, एक एप्रोप्रिएट्री अथॉरिटी इसे रेग्युलेट करे। इस पर नियंत्रण

रखना पड़ेगा क्योंकि इनका जाल इतना बड़ा है कि वे उन्हें भी अपने कब्जे में लेकर उपभोक्ता पर डालेंगे।

आप जो बिल ला रही हैं अगर उसे सही मायनों में, व्यापक तौर से विचार करके लाएंगी तो उससे सही मायनों में उपभोक्ता को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि सुषमा जी, जो जनता से जुडी हुई हैं, वे इस संबंध में व्यापक तौर पर विचार करके कड़े कानून बनाने के बाद ही यहां पर लाई हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर सरकार अपने चैनल सुधार ले तो बहुत अच्छा होगा। मैट्रो चैनल देखने से ऐसा लगता है कि पंद्रह साल पुराने जमाने का मैट्रो चैनल देख रहे हैं। वही पुराने बनफूल तेल के विज्ञापन और पता नहीं कौन-कौन से विज्ञापन आते हैं। इन्होंने छह-सात सीरियल्स बना लिए हैं जब देखों तब वहीं दिखातें रहते हैं। कलाकार भी ऐसे हैं कि देखने से लगता है कि बीमार हो। उनके चेहरों के रंग फीके-फीके होते हैं। उनके विषय बहुत अच्छे होते हैं। जब देश में गेम होता है तो हम तो मैट्रो ही देखते हैं। रात के बारह बजे, एक बजे तक प्रोग्राम आते रहते हैं लेकिन रोज यही सीरियल्स दिखाए जाते हैं। प्रोग्राम अच्छे होते हैं लेकिन उसमें कुछ आगे बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं कहती हूं कि उसे सुधार लीजिए तभी हम इन पे चैनल्स के अत्याचार से, आक्रमण से बच सकेंगे।

एम.टी.वी. और जो बी.फोर.यू. चैनल्स हैं, एम.टी. वी. पर तो सी.डी. के नाम पर दिन भर इतने गंदे और अश्लील नृत्य आते रहते हैं, इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसे आप कंट्रोल क्यों नहीं करती हैं? मैंने आपसे कमेटी में भी कहा है कि इसे कंट्रोल कीजिए। आप सेट टाप बॉक्स लगा रही हैं, हमने उसे अपने घर मे भी लगा लिया लेकिन पता लगा कि हमारे बच्चे दूसरों के घर में जाकर देख रहे हैं। इन चैनल्स को रोकना होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूं ...(व्यवधान)... बच्चों को कहां तक रोकेंगे। आप क्यों नही इसे रोकती हैं।

उपसभापति : वह बच्चों के लिए है, एम.टी.वी. अपने लिए नहीं है।

श्रीमती सरोज दुबे : मैंने यही कहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए।

उपसभापति : आपको चाहिए कि आप सिर्फ सास भी कभी बहू थी देखें।

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम, सास भी कभी बहू थी तो महिलाओं के नाम पर कलंक है। सास भी कभी बहू थी और कहानी घर-घर की में सास और बहुएं जिस तरह से साजिश करती नजर आती हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ओरतों को केवल साजिश करने का ही काम रह गया है। रात-दिन देवरानी, जेठानी, ननद, भौजाई आपस मे षड्यंत्र करती नजर आती हैं, एक-दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। वह तो बहुत खराब सीरियल है। उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्या सीखेगी हमारी बहू-बेटियां इससे? यही कि दिन-भर साजिश करो। एक-दूसरे को मारने की जहर देने की, उनकी इमेज खराब जाती है। दिन-भर यही करती रहती हैं। इस तरह से टी.वी. देखना ठीक नहीं है। सुषमा जी, बहुत जागरूक, प्रखर मंत्री हैं।

इनसे उम्मीद थी कि ये कुछ कर देंगी। जिस तरह से इन्होंने इंटरनेट को कंट्रोल किया है उसी तरह से इसे भी कंट्रोल करें। आपने इसके लिए जो प्रयास किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं लेकिन आपसे फिर से प्रार्थना करती हूं कि आप उपभोक्ता का ख्याल रखें कि किस तरह से सेट टाप बॉक्स की कीमत तय होगी, एम.पी. को तो फ्री दे देना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Madam, clause 6 of the Bill seeks to amend section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995. It empowers the Central Government' to make rules by inserting new clauses (aa) and (aaa) in sub-section (2) of this section. The proposed clauses empower the Central Government to make rules to provide the manner of publicising the subscription rates and the periodical intervals at which they are paid. The most important point here is, so many Bills are introduced in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. But, I am not able to understand why this particular Bill has become so controversial, and why it has been in the news so much. One basic philosophy in the Bill is...*{Interruptions)...* Madam, how much time do I have?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your channel has not paid enough, so, there is very little time.

DR. T. SUBBARAMI REDDY : On the one hand, there is a feeling that cable operators are not paying the actual revenue to the broadcasters. It is alleged that they collect more money from the consumers and pay less to the broadcasters. Tnis is the justification that broadcasters give for charging more. On the other hand, cable operators explain to the consumers, *"yes,* we are charging more because the broadcasters are charging more." It is a little confusing. I am not able to understand this. So, this confusion should be removed. The cable operators say, instead of having this confusion, let us give freedom to the people so that they can see the channel of their choice by paying for it. What is wrong in it?" The hon. Minister must clarify this in the reply. There must be something. That is why a number of learned Members have opposed this Bill. I am not able to understand why they are opposing this Bill. I have got a bunch of papers with me, still, I am confused. Nothing is clear from the papers and the remarks made Dy the Members. In a nutshell, *'yes',* the Government is coming forward to control the fees to be paid by the consumers in a systematic way saying, "if you want to see ten channels, you pay only for those ten cnannels. You need not pay for the other channels."

Secondly, if cable operators demand more, the Government can always interfere. It can insist on the cable operators not charging more. Till today, there was no such legislation, through which the Government could exercise its control over the cable operators; it could not coordinate, as it did not have a rational system of legislation. Why is there a controversy? I seek a clarification from the hon. Minister, as there must be something due to which these problems have arisen. I have heard each and every hon. Member, but nobody has touched that point. They have said different things, but no Member has said clearly why there is a controversy; why people are objecting to it; why so much time has been taken, etc. Perhaps, in the Parliamentary system, it rarely happens. This Bill has been passed in the Lok Sabha. In the first instance, it was not accepted in the Rajya Sabha. Then, after a great deal of persuasion, it has again come to the Rajya Sabha for acceptance. Why? An allegation has been levelled against the cable operators that they collect more money from the consumers and are paying less money to the broadcasters. Even then, the cable operators want this Bill to be introduced to give more powers to the Central Government to transmit programmes through an addressable system. Why? It needs to be clarified that there is no risk in this Bill, and that you will look after the interests of the public, broadcasters, and also of the cable operators. The Government should use its powers to ensure that injustice is not done to anybody.

Madam, I would also like to suggest a few amendments. On page 1, lines 8 & 9, for the words, " programme of any pay channel through an addressable system" the words, "programmes of all paid channels received from hub in an encrypted mode" may be substituted. Then, at page 2, the following may be inserted as sub-section 10, "Cable Operators, all over India, shall connect themselves to the hub through computers and telephone lines for free exchange of relevant data regarding their cable network." At page 2, for lines 43-48, the following may be substituted: "addressable system", means an electronic device or devices placed at the premises of the subscriber to decode pay channel signals within the limit of authorisation made on the choice and request of such subscribers, by the cable operator to the hub."

I would like to mention one more point. A big issue is going on. It is said that about 40 million cable homes are there, but these cable operators are showing it as 30 million. And the cable operators are actually paying only Rs.6 million to the broadcasters. How far is it correct? Only 20

per cent of the people are paying money to the broadcasters. The broadcasters argue, if the cable operators pay the money they are actually getting, then, they will get more revenue. If it happens, then they will be able to reduce the charges also. The broadcasters get only 20 per cent, that is why they are saying that they are forced to charge more money. I would also like to know from the hon. Minister whether she is going to take this point into consideration. How is she going to achieve this goal? I don't accept the allegation that the cable operators are not doing well. From the newspapers and from the TV, it is learnt, that there is a controversy between the cable operators and the broadcasters. This point has also to be kept in mind. And, the last point that I would like to suggest is this. It has been said that to install a set top box for conditional accessibility, the costs would be around Rs. 3,000. The people's feeling is, to set up a set top box for Rs. 3000 is a strain for them. Some people may find difficulty in paying that money. When, at the present time, a TV is costing Rs. 3000 - Rs. 4000, paying Rs. 3000 for installation of this set top box would be a further burden on them. I would like to know whether there is any scheme before the Government to give this set top box at a subsidised rate to, at least, the poor people, the middle class people and to the Government servants who cannot afford this. Can you have some scheme whereby you can provide them with this item at a subsidised rate? Or, alternatively, can you find some way out so that broadcasters or cable operators contribute partly to the scheme? Madam, in conclusion -- since there is no scope for opposing this Bill -- I would like to give some suggestions. The first thing is that you have to make sure that the cable operators should give their full account to the broadcasters. Since the Government is committed to help the people, we welcome this Bill. But we will be happy only when the Government achieves its objective. Now, this is the first stage. At the first stage, we are welcoming your promise. But, tomorrow, if the promise is not fulfilled, then, we will have to again raise this point. Tomorrow, if the cable operators are caught up in taking more money from the people, what will happen? You have to see to it that they do not take more money from the people. The Delhi Government has said that every month, it is losing Rs. 40-50 crores on account of entertainment tax, since cable operators are not paying the same. The Minister also has to bear this point in mind while passing and implementing this Bill.

In a nutshell, what I would like to say is that you have to inform this august House as to how you are going to implement this Bill.

No doubt, the Bill would be passed. But the thing is, how is the Government going to empower itself to make sure that a subscriber, a citizen of India is fully protected and everybody's interest is also taken care of?

Madam, there is also a controversy going on between Star TV, ZEE TV, Sony TV, etc. It has been said that somebody wants it, somebody does not want it. I would be thankful, if the Minister clarifies the position so that there is no scope for any doubt. In the newspapers it has been said that the Chairman of the Star TV came and met the Information and Broadcasting Minister in the month of July and August. He appreciated the scheme and said that they want this system. Am I right? But, subsequently, later on, again there were some apprehensions from their side and they said that they do not want it. I would like the Minister to clarify it. I would like to know from the Minister what transpired between her and the Chairman of the Star TV in the month of July which made the Star TV to agree to this scheme, and what happened later which made the Star TV to raise some problems or apprehension about this Bill. This point also needs to be clarified.

Madam, since there is no scope to oppose this Bill, I support this Bill. With these words, I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can still oppose the Bill in spite of all the good things that you have said.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sorry Madam, I did not get what you said.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am saying that if you want, you can oppose it. Nobody can stop you from doing that.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने देश के करोड़ों परिवारों की भावनाओ को समझा और इस बिल को लेकर आई हैं। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

माननीय उपसभापति महोदया, हम सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के युग में जी रहे हैं और प्रोद्योगिकी के विकास और विस्तार में देश के विकास की कुंजी छिपी हुई है। हमारे देश में

1982 में जहां केवल डीडी – 1 और डीडी-2 चैनल ही सुलभ थे लेकिन 1992 तक आते-आते पच्चीसो चैनल बड़े शहरों और महानगरों में हमें उपलब्ध हुए। लेकिन इसके साथ साथ लगभग 2000 तक आते आते सौ-डेढ सौ चैनलों की वृद्धि हो चुकी है। जहां इस तरह के चैनलों में वृद्धि हुई है, इसके साथ ही केबल आपरेटरो की मनमानी भी बहुत बढ गयी है। कुछ वर्ष पूर्व तक तो हम केबल कनेक्शन के लिए केबल आपरेटरो को सिर्फ 50 रूपए प्रति माह देते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर कुछ स्थानों पर सौ कुछ स्थानों पर डेढ सौ, कही दो सौ, कही ढाई सौ, फिर तीन सौ, तीन सौ साठ और तीन सौ पचहत्तर तक पहुंच गयी है। इससे मध्यम दर्गीय वर्ग का जो घरेलू बजट है वह लड़खड़ाने लगा है। परिवार के ऊपर दोहरी मार हो रही है। एक तरफ तो आर्थिक बोझ है और दूसरी तरफ केबल पर दिखाए जा रहे ऐसे चैनल्स हैं जिन्हें परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर देखा नहीं जा सकता हैं। हम इसे सांस्कृतिक मार कह सकते हैं। केबल द्वारा फैलाये जा रहे इस सांस्कृतिक प्रदूषण से देश की करोड़ो महिलाएं अत्यन्त दुखी हैं। वे इस जहर को अपने घर और परिवार के अदंर आने से रोकना चाहती हैं, पर असहाय हैं। मूलभूत अधिकारों के नाम पर महिलाओं को बाध्य किया जा रहा है कि वे इस गंदगी को घर के अन्दर प्रदेश करने दे।

उपसभापति महोदया, मेरे मत में सूचना क्रांति के इस दौर में हमे समय की मांग के अनुसार अन्य देशों से कदम से कदम मिला कर तो चलना है, पर समय की रो में नहीं बहना। इसलिए यह उचित है कि किन्ही खास चैनलों को प्रतिबंधित करने के बजाय लोगों को "च्वायस" या "आल्टरनेटिव" उपलब्ध कराने का जो रास्ता मंत्री महोदया ने निकाला है वह बहुत बढ़िया रास्ता हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सभी को मिल कर खुले दिल से इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। इस सरकार और श्रीमती सुषमा स्वराज जी को देश भर की महिलाएं इस विधेयक के लिए धन्यवाद देगी। यह विधेयक आर्थिक और सांस्कृतिक , दोनों समस्याओं के संबंध में महिलाओं की मदद करेगा। इस विधेयक द्वारा केबल ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाले चैनलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी आधारिक सेवा पंक्ति अर्थात बेसिक पैकेज की है जो निःशुल्क चैनलों के लिए है। यह बेसिक पैकेज मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। विचाराधीन विधेयक में यह प्रावधान है कि इस आधारिक पंक्ति के लिए केन्द्र सरकार अधिकतम शुल्क का निर्धारण कर सके। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो न्यूनतम शुल्क पर केवल निःशुल्क चैनल देखना चाहते हैं और पे चैनल के मायाजाल में उलझना नहीं चाहते । दूसरी श्रेणी पे चैनल की रखी गई है जिसको प्राप्तकरने के लिए टेलीविजन पर एक विशेष उपकरण लगाना होगा। इस प्रकार के उपकरणों को यह विधेयक वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। इन उपकरणों के माध्यम से उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होगा और वह यह चुन सकेगा कि कौन से पे चैनल के लिए वह मासिक शुल्क अदा करे और किस चैनल को देखने से पूर्णतः इन्कार कर दें।

उपसभापति महोदया, विचाराधीन विधेयक एक क्रांतिकारी विधेयक है। इससे न केवल टेलीविजन उद्योग में नए युग का सूत्रपात होगा, बल्कि अभी तक इस उद्योग में जो केबल ऑपरेटर राजा है, वह जो चाहता है वह दिखाता है, सेवा प्राप्त करने वाले कनैक्शनों के बारे में झूठे आंकडे देना और चैनल्ज तथा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्ज को भी धोखा देता है। इसलिए यह विधेयक इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने का एक प्रयास है। विधेयक के माध्यम से मूल

3.00 p.m.

कानून में अन्तःस्थापित की जा रही धारा 4क(1) इस उद्योग में पारदर्शिता लाएगी और आपसी विश्वास को भी स्थापित करेगी। उपसभापति जी, मेरा अनुभव है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों भोपाल और इंदौर आदि में पसारणकर्ताओं और केबल आपरेटरों के बीच में खींचातानी चल रही है और आपस में झगड़े चल रहे हैं। दोनों ओर से बार-बार प्रशासन से मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया जाता है। प्रसारणकर्ता केबल आपरेटरों पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाते हैं और दूसरी ओर केबल ऑपरेटर प्रसारणकर्ताओं पर मनमानी शुल्क वृद्धि का आरोप लगाते हैं। इन विवादों के बीच बेचारा उपभोक्ता मारा जाता है। केबल ऑपरेटर मासिक शुल्क पूरा वसूल लेता है और चेनलों पर उसकी मनमानी चलती है। वह कुछ दिखाता है और कुछ काट देता है। इसालिए मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक के लागू होने के पश्चात् प्रसारणकर्ताओं और केबल ऑपरेटरों के विवादों पर विराम लगेगा और उपभोक्ताओं की परेशानी दूर होगी।

महोदया, आज सुबह जब मैंने अखबार देखा तो उसमें न्यूज थी कि "स्टॉर कट्स केबल रेट्स", मैं स्टॉर टेलीविजन को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन आज जब हम इस बिल को यहां सदन में लाएं हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, तब उसके साथ ही जब स्टॉर टेलीविजन ने रेट कम कर दिए तो जब यह एक्ट आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य चैनल भी अपने रेट कम करेंगे । इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से यहां बैठे विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि उपभोक्ताओं के हित मेंहम सब मिल कर इस विधेयक को पास करें और साथ ही माननीया मंत्री महोदया जो यहां बैठी हैं उनको भी अपनी और सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं । उन्होंने उपभोक्ता की पीडा को समझा है और वे इस बिल को लेकर आई है । इस तरह उन्होंने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। उपसभापति महोदया, इस संबंध मे मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि फेडरेशन ऑफ अशोक विहार रेसीडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन केबल कमेटी ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी , रोहिणी समाज सेवा संस्थान और इसी तरह के हजारो लोगों ने मीटिंग कर के खुशी जाहिर की। उन्हें जब पता लगा कि इस तरह की विधेयक सुषमा जी लेकर आने वाली हैं तो उन्होंने बताया कि हम इतने वर्षो से केबल टेलिविजन ऑपरेटर्स की मनमानी से त्रस्त हैं, मंत्री महोदया इस तरह का बिल लाकर हम सभी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगी। इस संबंध में उन्होंने "फैक्स" के माध्यम से पत्र भेजकर अपनी खुशी जतायी है। उनका कहना है कि अगर संदन के सदस्य साथ मिलकर इस विधेयक को पास करते हैं तो टेलीविजन उपभोक्ता बहुत बड़ी मार से बच सकेगा।

इसलिए मैं अपनी ओर से सुषमा जी को हार्दिक बधाई देती हूं। इस बिल के पास होने से हिंदुस्तान की करोड़ो गृहणियों को राहत मिलेगी। मैं उन की ओर से भी मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देती हूं और अपनी ओर से इस बिल का समर्थन करती हूं । धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Was it a maiden speech? बहुत जोर से सदस्यों ने तालियां बजाई तो मैं ने सोचा कि it was maiden. Satish Pradhanji, you have four minutes because we have heard enough on the Cable Bill.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) **:** मैडम, अभी तक जो सदन में चर्चा हुई हैं, मैं सदन से अलग कुछ मुद्दे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां रखना चाहूंगा। फिर समय की पाबंदी रखने की पूरी कोशिश करूंगा।

उपसभापति महोदया, यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने केबल ऑपरेटर्स की मनमानी का जिक्र किया। उदाहरण के लिए मैं सदन की कार्यवाही दूरदर्शन पर दिखाए जाने का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। जब इस संबंध में निर्णय लिया गया तो हम सभी को महसूस हुआ कि हम अपने घर में बैठकर भी सदन में चल रहे बिजनेस के बारे मे मालूमात कर सकत हैं। मैं ९८ शाहजहां रोड पर रहता हूं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां दूरदर्शन का चैनल नहीं दिखाया जाता है जिस पर कि ससंद की कार्यवाही का प्रसारण होता है । महोदया, जब सदन की कार्यवाही टेलिवीजन पर दिखाने की व्यवस्था की गयी थी तो उस समय जेटली साहब, जो कि प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने बताया कि आप यह मामला केबल ऑपरेटर के साथ बात कर के सुलझा ले। लेकिन अगर केबल ऑपरेटर इसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या करें? महोदया, देश में जगह-जगह बैठे लोगों को सदन की कार्यवाही देखने इच्छा होती है और वह उसे देखने को मिलनी चाहिए। हम ने इस के लिए प्रावधान भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया इस संबंध में ख्याल रखेगी और इस सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए जो प्रावधान लाने वाली हैं, उसे में इस बारे में भी विचार करेंगी।

मैडम, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो केबल का कारोबार है, उस पर गौर से विचार करने की आवश्यकता है। हम इस के लिए हर समय केबल ऑपरेटर को ही जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि केबल ऑपरेटर केबल कनेक्शन देता हैं और हर महीने पैसा वसूलने आता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम में सब से पहले स्टार टी.वी. चैनल, "जी" चैनल जैसी बड़ी-बड़ी कपनीज आती हैं, दूसरे मेजर मल्टी चैनल सिस्टम ऑपरेटर्स जैसे हिंदुजा और "इन" चैनल वगैरा आते हैं और तीसरे वह केबल ऑपरेटर है जो कि हमारे घर केबल कनेक्शन लगाता है। और चौथाग्राहक है। इसमें यह चार स्टेज है। इस विषय को देखते समय यह पा चलता है कि इन तीनो में से ग्राहकों के लिए कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। ग्राहक के लिए कुछ भी उनका ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं , उनका अभिनदंन करना चाहता हूं कि इन्होंने ग्राहकों के बारे में सोचा और यह विधेयक लाया। मैं इसके लिए बड़ा खुश हूं और इसलिए मैं इस विधेयक को अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं कि इस विधेयक का लाकर आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यह कदम रूकना नहीं चाहिए क्योंकि इसके आगे भी और बहुत कुछ करना पड़ेगा नहीं तो यह सफल नहीं होगा।

उपसभापति महोदया, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे उद्योग को इण्डस्ट्री के तौर पर मान्यता देने की आवश्यकता होगी, जो आज नहीं है। चूंकि उद्योग के तौर पर इसको मान्यता नहीं है, इसलिए परिणाम यह होता है कि हमारे घर तक जो कैबल आपरेटर केबल लाकर देता है, हमारे टीवी से कनेक्ट करता है, उसको अगर जरूरत होती है तो बैंक उसको कर्जा नहीं देती हैं। आज उसकी हालत सबसे बुरी हैं । यह पूरा बिजनेस पहले माफिया के हाथ में चला गया था, लेकिन अब इसमें कुछ अच्छे लोग आए हैं, जिन्होंने उनके हाथ से

निकालने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि यह क्षेत्र किसी भी तरह से माफिया के हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए अगर आगे भी कानून में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो तो कानून में परिवर्तन करना होगे।

उपसभापति महोदया, मैं साफ तौर पर यह बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कोई भी सच नहीं बोलता है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इस बारे मे सोच सकता हूं कि बिजनेस पूरा हण्ड्रेड पपसेंट सच बोलने से नहीं होता, लेकिन यहां तो कोई भी सच नहीं बोलता। केबल आपरेटर, जो हमारे घर तक केबल कनेक्शन लाकर देते हैं, वे अपने यहां से जो कनेक्शन की फिगर देते हैं, उससे पूरा सच नहीं बताते बल्कि उसमें 20 या 25 या 30 परसेंट तक ही सच बताते हैं और गवर्नमेंट को जो टैक्स के लिए फिगर देनी होती है वह तो उससे भी कम बताई जाती है। इसके बाद जो मल्टी-सर्विस आपरेटर है, मेजर सर्विस आपरेटर, वे जो पे-चैनल वालो को फिगर देते हैं उसमें भी वे कभी सच नहीं बोलते । वे सरकार को टैक्स भरते समय अलग फिगर देते हैं, पे-चेनल फिगर देते हैं और एडवर्टाइजमेट देने वालों को या दूसरे लोगों को दूसरी ही फिगर देते हैं। इस बिजनेस में यह सब चल रहा है।

महोदया, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब हम टीवी ओन करते है तो पाते हैं कि उसमे तीन-तीन एडवर्टाइजमेट आ रही होती हैं। आप सभी ने यह अनुभव किया होगा कि तीन तीन लोगों की एडवर्टाइजमेंट एक समय पर आती हैं। केबल आपरेटर अपनी एडवर्टाइजमेंट देगा, फिर मेजर सर्विस आपरेटर की अपनी एडवर्टाइजमेंट चलती है और ब्रेक टाइम वगैरह कुछ बताकर तीसरी एडवर्टाइजमेट आती है जो पे-चेनल वालो की होती है । इन सब एडवर्टाइजमेंट के कारण टीवी पर जो पिक्चर देखने को मिलती है तो वह पूरी देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि गले तक एडवर्टाइजमेंट रहती है और सिर्फ सिर देख सकते हैं या शक्ल देख सकते हैं, जिसके लिए पैसे लिए जाते हैं। इसी में एक और बात में कहना चाहता हूं, जो एक अलग बात है कि मैं इन एडवर्टाइजमेंट के बारे में कई साल से सोच रहा हूं कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हैं। मैं बहुत सोच विचार करता रहा हूं और विचार करते करते मैं यहां तक आकर पहुंचा हूं। मैं जब नया नया आया था तो मैंने वर्ष 1993-94 में एक सवाल पूछा था, जो अनस्टार्ड क्वैश्चन था, मैंने उस अनस्टार्ड क्वैश्चन में पूछा था कि यह सब एडवर्टाइजमेंट जो हैं, उसमें शराब की एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है, जब कि शराब की एडवर्टाइजमेंट की मनाही है फिर भी यह आती है। तो उस समय मुझे किसी ने बताया कि शराब की एडवर्टाइजमेंट जिस चैनल पर आती है, वह सब विदेशी कंपनी हैं, उधर से ही आती हैं। मैंने सोचा कि चलो, विदेशों से आती होगी। आज जब में उस पर ज्यादा विचार करता हूं तो पता चलता है कि अगर माना यह स्टार टीवी का हैड-आफिस हांगकांग में हैं या जीटीवी का सिगांपुर में हैं, वह विदेशी कंपनी हैं, लेकिन उनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट किसी ने दी है तो वह किस कंपनी ने दी हैं तो मैंने देखा कि यह सभी देशी कंपनी हैं, यहां की कंपनी है। यह देखने की बात है कि जो यहां की कंपनियों ने विदेशों में एडवर्टाइजमेंट दी हैं तो एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी ने जो पैसा एडवर्टाइजमेट पर खर्च किया वह किस करेन्सी में उन्होंने दिया है? यदि उनके पास किसी इंडियन ने एडवरटाइजमेंट दिया, तो जिस कम्पनी ने ऐडवरटाइजमेंट दिया वह यहा की कम्पनी है और यहां की कम्पनी ने यदि विदेशों में ऐडवरटाइजमेंट दिया तो उसने ऐडवरटाइजमेंट का जो है खर्चा किया है, वह पैसा किस करेसी मे दिया? वह उसने रूपी करेंसी में दिया या फॉरेन

ऐक्सचेंज में दिया और यह जो पैसा दिया तो क्या इसके लिए उन्होंने रिजर्व बैंक की परमिशन ली, सरकार से कोई अनुज्ञा ली या नहीं और यदि ली तो दोनों मे से किसने अनुज्ञा ली? दोनों में से किसी एक ने अनुज्ञा लेनी थी। पहले तो उसने परमिशन लेनी थी जिसने ऐडवरटाइजमेंट दी। यदि उसने ही फॉरेन ऐक्सचेज में पैसा दिया हो, यदि उसने रूपी करेसी में पैसा दिया होगा तो जो ओरिजनल कम्पनी है, जैसे स्टार टी.बी. या और जो कम्पनी हैं, उसने जो पैसा लिया है, वे उस पैसे को विदेश में लेकर गए तो वह पैसा या तो वे हवाला से लेकर गए या रिजर्व बैंक से परमिशन लेकर उसको लेकर गए । इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि वे किस तरह से पैसा लेकर गए हैं? मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप वित्त मंत्री जी से बात करिए, रिजर्व बैंक को बताइए कि इस विषय में जांच होनी जरूरी है कि ये लोग इतने सालों से जो पैसा देते आए हैं, जो पैसा उन्होंने विदेशों मे दिया है, वह कैसे दिया है, वह पैसा विदेशों मे कैसे गया और इसमें क्या घपला हुआ? आज अगर कही और घपला होता है तो तुरंत हमारे इन्कम टैक्स वाले या दूसरे लोग सारे एकाउंटस चैक करने के लिए रूक जाते हैं, टूट पड़ते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में सब लोग चुप क्यों बैठें हैं और अभी तक इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हुई? इस विषय का समाधान होना बहुत आवश्यक है।

मैडम, इसमें यह बताया गया है कि एक सैट-टाप बॉक्स आने वाला है। सैट-टाप बॉक्स की कल्पना बहुत बढ़िया और सुंदर कल्पना है, लेकिन इस सैट-टाप बॉक्स के आने पर हमें फ्री चैनल्स के बारे मे कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि स्टार टी.वी. का जो पैकेज है, उस पैकेज में एक फ्री चैनल है, तो वे उस फ्री चैनल को अलग से नहीं देंगे, वे उसे पैकेज के साथ ही फ्री रखेंगे और अगर कोई कहेगा कि मुझे सिर्फ स्टार टी.वी का फ्री चैनल देखना है तो वह फ्री चैनल उसको फ्री में नही मिलेगा, यह सिर्फ पैकेज के साथ ही मिलेगा। तो इस बारे में हमे सोचने की आवश्यकता है क्योंकि यदि उसमें ऐसी ही व्यवस्था होगी तो इससे बड़ी समस्या हो जाएगी और ग्राहकों तथा जनता के साथ जो यह लूट-पाट का धंधा हो रहा हैं, वह नहीं रूकेगा।

उपसभापति : प्रधन जी, आपका समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री सतीश प्रधान : मुझे मालूम हैं, मैडम, मैं एक-दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मैं सैट-टाप बॉक्स के बारे में बात कर रहा था। तो वह जो सैट-टाप बॉक्स होगा, इसमें सब लोगों के कनेक्शन आदि के बारे में रिकार्ड होगा कि कितने लोगों को कनेक्शन दिया हुआ है, उसका पूरा रिकार्ड होगा और यह रिकार्ड मेजर सर्विस ऑपरेटर के पास रहेगा। मेरा कहना है कि यह रिकार्ड सिर्फ मेजर सर्विस ऑपरेटर के पास ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसका एक कनेक्शन कलेक्टर के आफिस में भी जाना चाहिए और यदि ऐसा होना तभी सरकार के पास सही फिगर्स आएंगी नहीं तो सैट-टाप बॉक्स को टेम्पर किया जा सकता है और उसे टेम्पर करने से सरकार को जो रिवेन्यु मिलना चाहिए , सरकार को वह पूरा रिवेन्यु नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ सैट-टाप बॉक्स रखने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उसका एक कनेक्शन हमें कलेक्टर के पास या रिवेन्यु डिपार्टमेंट में भी देना होगा, जहां उसका रिकार्ड होगा। ...(समय की घंटी)...

इसमें एक और बात है कि सारे केबल ऑपरेटर्स, जिनको हम हर महीने 100 या 200 रूपए देते हैं सर्विस लेने के लिए, ये सारे केबल ऑपरेटर्स, ग्राहकों को उस पैसे की रसीद नहीं देते हैं। हिन्दुस्तान में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां केबल ऑपरेटर्स रसीद देते हों जबकि कानून में हैं कि जब पैसा लिया जाता है, पैसे का व्यवहार होता है तो हरेक आदमी को दूसरे को रसीद देनी होती है, लेकिन केबल ऑपरेटर्स से किसी को रसीद नही मिलती है। तो मेरा कहना है कि रसीद देने के बारे में भी कानून को दुरूस्त करने की आवश्यकता है और इसमें हर आदमी को रसीद देना आवश्यक होना चाहिए।

इसी तरह से केबल ऑपरेटर्स घरों में जाते हैं लेकिन हर बार इनका आदमी अलग होता है। घर में कई दफा सिर्फ कोई बूढ़ा,बुढ़िया या मां आदि होते हैं, अब उनके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं हैं कि आने वाला व्यक्ति कौन है क्योंकि केबल ऑपरेटर के उस आदमी के पास पहचान के लिए कुछ नहीं होता है। महोदया, इसके लिए आई-कार्ड की आवश्यकता हैं। यदि वह आई-कार्ड उसके पास होगा तो ही वह अंदर आ सकेगा। इसलिए आई-कार्ड देने का कुछ न कुछ प्रावधान इस कानून में करने की जरूरत हैं। दूसरी बात यह है कि पे-चैनल वाले लोग अक्सार रेट बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण मुंबई और ठाणे में बहुत गडबड़ी हुई और ग्राहकों में बहुत असंतोष हो गया, जैसे दिल्ली में ग्राहकों में असतोंष हो गया था।

महोदया, मैंने इसका अध्ययन करना शुरू किया और मुझे विश्वास नहीं था कि उसमें इतना सिर्फ होगा। मेरे पास काफी आंकड़े हैं लेकिन सारे आंकड़े में यहां पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि 1998-99 में entairtainment tax 35 प्रतिशत था और 1999 के बाद यह देश भर में 30 परसेंट हो गया और यह स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, सेट्रल गवर्नमेंट को इससे से कुछ नहीं मिलता है। स्टॉर पैकेज 1998-99 में 3 रूपए, 80 पैसे था, 1999 में यह 16 रूपए, 75 पैसे हो गया, 2001 में यह 28 रूपए, 50 पैसे हो गया और 2002 में यह 41 रूपए हो गया। यानी इसमें 980 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह ESPN Sports का रेट 11 रूपए, 55 पैसे था, अब उसका रेट 24 रूपए हो गया है, यानी उसने भी 106 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई हैं। TNT और HBO में यह रेट 2 रूपए 95 पैसे था, अब इसका रेट 12 रूपए, 50 पैसे हो गया है , यानी इसमें 325 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई हैं इसी तरह ZEE पैकेज पहले फ्री थी, बाद में 1999 में इसका रेट 10 रूपए हो गया और अब 36 रूपए हो गया है, यानी 250 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अभी यह बात चल रही है कि इनके रेट्स और बढ़ेंगे।

महोदया, इतनी बड़ी मात्रा में ये रेट्स बढ़े हैं कि इसके कारण ग्राहकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ग्राहकों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए हमें कुछ न कुछ व्यवस्था करने की जरूरत हैं।

महोदया, माननीय मंत्री महोदया जो बिल लेकर आई हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो बातें उनके सामने रखी हैं, उनके बारे में वे गौर से सोचें और जल्दी से जल्दी इन विषयों का बंदोबस्त करने के लिए कानून में सुधार करने की

कोशिश करें। मैडम, आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Madam, the amendment to the seven-year old Cable T.V. Act is going to have a far-reaching impact on more than four crore households which have cable T.V. today, the broadcasting industry, the cable operators, and, last but not the least, on the Government revenues. But at the core of this amendment, there is a simple principle, and that principle is consumer choice. Today, there are four crore households. Suppose there are five persons per household. We are talking about 20 crore or 200 million people who are affected by this. Simply. They do not have the choice of what they want to watch. Let us take a moment and dwell on this industry which is a little more than one decade old. In these eleven or twelve years, this industry has reached the staggering figure of four crore households. Just to put it in perspective, compare it with telephones. Telephones have been around for nearly a century in this country, and in all this time, they have reached four-and-a-half crores. And in just 11 or 12 years, this industry has reached four crores! This is nothing short of stupendous, and this growth has been made possible by a combination of many factors. The broadcasters have to be given credit for this because they have invested thousands of crores of rupees in developing content, which has taken Indian content, in quantity and quality, up to world-class standards. Today, this content is watched not just in these four crore households in India, but across the globe, in western countries, in Eastern Asia and Africa. I compliment, just as an hon. Member, earlier, complimented, one of the broadcasting companies, which has today reduced its tariffs by 25 per cent, and I also urge other broadcasting companies to take a hint from them and take similar measures which would be a gesture of goodwill towards the Indian consumer. In all of this, the Government has had a very light touch, which, I think, has been a boon and a bonus for this industry. Like the IT industry, which has grown rapidly with very little Government involvement, this industry also has grown. In fact, in the early years, there was no regulation, and in the year 1994, the Government issued an ordinance, which was converted into an Act in 1995. Initially, for the first half of this decade of growth, this was a tremendous boon foi the Indian consumers, because they were used to watching a very limited broadcasting content, and in the space of 3-4 years, they had the choice of 20 or 30 channels, and the average cost, in about 1997-98, after 4-5 years of this development of the industry, was only about 100 rupees --

if you take rural areas, it was about 50-60 rupees, and in urban areas, it was about 150 rupees. If you look at the figures around 1997-98, you had millions of customers already hooked up for 30 channels, already showing world class content, paying about 100 rupees. But this was never going to last because this boon for the Indian consumer was not in line with what was happening in the rest of the world. If you look at the world model, the business model for cable television, it is very stark. There are lots of channels all over the world. A majority of them are what are known as FTA, free-to-air, channels. The broadcasters get their revenues from advertising; they don't charge the cable operators and, in turn, the consumers are not charged by the cable operators. The cable operators charge the consumers only for their own infrastructure and operating cost, which is their distribution cost. All the channels available in India were free to air, and, that is why, the cable operators were charging only their own infrastructure cost and the Indian consumer could get, at only 100 rupees, a large number of channels. So, what has gone wrong?

Just now, Shri Pradhan has pointed out, how these tariffs have risen. Let me give a stark figure here. The first pay channel was started with the very light sum of two rupees and fifty paise in the year 1996. That was the only one pay channel till 1998. From 1998-99 onwards, most of the channels turned pay and the staggering figure is after this. After the Indian consumer enjoyed this great boon at a reasonable cost, from the year 1999 till the year 2002, the increase in pay channel cost has been 1400 per cent. It has not been always a bad story. I was pointing out that for the first five, six or seven years, it was a boon for the Indian consumer. But for the last three years, from 1999 to 2002, I don't think, any industry, anywhere in the world, forget about India, had had 1400 per cent price increase. I am not blaming the broadcasters. Anybody, who creates world class content, has, in my opinion, the freedom to charge what he wants to. But, at the same time, the consumer has, and must have, a freedom of what he wants to buy and what he does not want to buy. Today, the Indian consumer does not have this freedom, and this is what this Amendment is all about.

I want to give another stark figure. Today, the nufhber of channels has gone upto 150-160. But, if you take out the channels, which are not really relevant to India, like Chinese, Korean and Russian channels, the channels, which are largely watched, if you go by TAM figures, there is a stark figure. The ratio of the Indian viewership of pay channels to free

channels is 55:45. That means 55 per cent of what the Indian viewers watch in totality across the country, including urban and rural figures, are pay channels and 45 per cent are free channels. How does this compare with the world? Let me not compare with America or Japan or Western countries. I choose Brazil to compare because Brazil is somewhat similar to India. In fact, its socio-economic status is slightly higher than that of India. In terms of disposable income and earning capacity, it is a larger country. In Brazil, today, in the year 2002, the percentage of viewership of free channels is 72 per cent compared to only 45 per cent in India. This is where the crux of the issue lies. The consumer must have a choice. Now, I have heard figures, that somebody gets cable TV for rupees 100 and somebody gets for rupees 150. I am quite astounded because if you go by this article of the Hindustan Times of November 28, if you simply add the cost of the pay channels, it adds up to about rupees 160. Now, there is cost of infrastructure, distribution, etc. So, the only way anybody can get it at less than rupees 160 or even at rupees 160 is, if the cable operator is fudging his figures. Now, there are no heroes. There are villains all across the situation. There is only one victim, that is, the Indian consumer. Madam, actually, I am wrong. There are two victims. The Government is also a victim. Some years ago, they have started an entertainment tax in many States across the country. In this year's National Budget, there is a service tax. But the collection from entertainment tax and the service tax is only a pittance. It is because of under-reporting by the cable operators. There is a huge jack up of prices by the broadcasters. But the consumers don't have any choice. Either they have to take it all or leave it all.

Let me give one example to dramatise this choice. We all buy newspapers. This community, the Members of Parliament, is, probably, more interested in news. We all buy more newspapers than an average Indian family do. For example, at my house, I get five or six newspapers every morning and I pay for each of them separately. My colleague, Mr. Shukla, is saying that he takes 10 newspapers. But an average Indian household, I am quite confident, takes one or, at the most, two newspapers. We all buy newspapers according to what we need, what we can afford and what we want. How would it be, if there was a situation in the country where everybody had to take 60 newspapers, and the cost should be averaged? My driver and assistant would pay the same amount as I do, whether they take one newspaper or 60 newspapers. That is the situation today. How would it be, if one publishing house, which has 30 or

40 publications, says, "You take all my publications or you don't have any of my publications"? I don't want to blame anybody here. The broadcasters are within their right to charge what they wish. But we must ensure that the Indian consumer has the right and the physical option of taking or buying what he can afford and wishes to have. At the same time, we must also ensure that nobody is deprived of this television revolution that is taking place.

This proposal provides that we follow the international model. It is true that internationally it is not always mandated. The Conditional Access System is often done by the market itself. The market, the broadcasters and the distributors, that is, the cable operators, work in tandem. They work as partners, and yet the consumers do not get affected in those countries. In our country, it is a strange situation where the vendors of the content, that is, the broadcasters, and the distributors of the content are at loggerheads. Though they are at loggerheads, they are not suffering. They are all doing well. It is the consumer who is suffering. We must not permit it to happen.

We have talked about technology. We have talked about analogue versus digital costs. Madam, I want to say something here. This amendment, at the core of it, is not about technology. Technology will come and go. Technology will keep changing. The core of it is a principle that the Indian consumer, the Indian citizen, must have a choice. Now, the market should have allowed this to happen. The market has worked well in other countries. Unfortunately,, in our country, in this market, it has not worked. It is a very odd situation. My hon. friend from West Bengal is saying that he is normally not a votary of markets, but yet, on this issue, he supports the markets. It is an odd situation. I am normally a votary of markets. Yet, I am supporting the motion for Government intervention, because the market has failed. We, all of us, have supported Government intervention, when the market has failed. When there is a failure in the stock market, we insist on Government intervention. Then, why should' we no support Government intervention, when there is a failure in this market? Perhaps, this industry has grown rapidly. It is an immature industry. It is hardly 11 years old. Perhaps, that is why the purveyors of the content and the distributors of the content h^ve not yet worked out a proper market relationship and that is why they are in conflict. That is why the Government needs to step in and mandate the consumer choice. But,

I urge upon the hon. Minister, let us exercise restraint. Let us not use this opportunity to go in for and mandate Government intervention for a long period. Whenever the Government tried to mandate technology, it has been a failure, not only in this country but also in other countries. We should not be mandating technology. We should not be really mandating prices. We should be mandating in this issue, the consumer choice. What will this do? This will put the Indian cable TV market on a par with the world situation, where the consumer will have an access to, say, 30 or 40 channels, consisting of all genre or all categories. A point was raised that the Government was going to get undue powers to dictate who could watch and what. That is not true. Please read the amendment. The amendment says that the Government can stipulate the categories, which it has a right to do. It can stipulate, for example, that adult content will not be shown. It can stipulate that only news content must be shown. But it cannot say "show Star News or do not show Zee News". That is not permitted in this amendment. So, let us be clear about this. Madam, I do not want to take too much time. Some speakers have pointed out some so-called shortcomings. I would like to say that let us not, in anticipation of the perfect, delay the good.

This has been delayed for too long. So, I compliment the hon. Minister on standing up to the tremendous odds in bringing this amendment before the House for passage, even though it is so many months since it was passed by the Lok Sabha. Once again, I would like to compliment her, and while supporting her, I would like to urge the community of this industry, both the broadcasters and the cable operators, to realise that if they do not self regulate themselves, the Government is bound to step in.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I think enough has been said on Cable T.V. I find most of the speeches repetitive. Add something new. Otherwise we can switch off the channel. I have the remote control; I will just announce that the discussion on the Bill is over and the Minister should reply.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Madam Deputy Chairman, as you have rightly observed, it is very difficult for the last speakers to make new points. But, it can be that the points that have already been mentioned can be reiterated in another way or another form. That is the only way. Even then, I will try my level best to make some points in respect of this Bill.

Madam, for the reasons unknown to us, this Bill was delayed for long. So, we are happy that the Bill has come up for discussion now. After the passing of the Bill by the Lok Sabha, it is being discussed here.

Madam, this Cable TV Networks Regulation (Amendment) Bill, 2002, seeks to amend the original Act of 1995 by introducing a new provision, new Section 4A. By virtue of the new proposed amendments, Section 4(A), the Central Government or the Government of India is getting the power to intervene in the fight between the broadcasting houses or the broadcasting companies and the cable network companies. One side is the broadcasting or the production sector and the other is the distribution sector. It is an admitted fact that the quarrel or controversy is between them. The broadcasting houses are alleging that the actual number of connections which are being given by the cable network or the network agencies are not being disclosed, and that the broadcasting houses are being cheated. This is the allegation of the broadcasting houses. The allegation of the cable network agencies is that they are not having sufficient number of connections and they are being over-charged by the broadcasting houses. So, who is being benefited out of this controversy, quarrel, or difference of opinion between these two? In fact, what is happening is, the poor Indian consumer is being cheated, as rightly said by Mr. Panda. So, the poor consumer, the Indian consumer, should be benefited by this provision. To that extent, I fully support this Bill because, today the consumer is being cheated because of this controversy.

As pointed out by Dr. Subbarami Reddy, what is the real fact behind this controversy is still unknown. Why it is being dragged on for a long time is still unknown to the House. So, considering the fact that there are forty million viewers of Cable TV, definitely, the Government of India should have the control on this. This is my first submission.

Now, coming to the other points, I would say that even after the passing of the Bill, the cable TV operator is> going to have the domain to declare the number of connections, because he has to declare the number of connections to the Government of India. So, it means still the domain is with him or he is having the authority. I would like to seek a clarification from the hon. Minister as to how it will be supervised or checked. Madam, the estimated value of a STB or of an addressable system which has to be

installed at every consumer's or subscriber's house comes to Rs. 3,000 to Rs. 6,000/-. We have come to know that some companies have already started manufacturing it. After a few days, there will be a fight about production of STBs. It will be a big business. My submission is, we should have uniform STBs. It may go against the market economy, because the subscribers are at liberty to purchase STBs of their liking. That is another thing. My point is, if I want to change my cable television operator, I will definitely be forced to purchase a new STB prescribed by the new cable television operator. So, the consumers would be overburdened. Therefore, the Government should prescribe uniform STBs. The Prasar Bharati Corporation or some other public sector undertaking can make these STBs so that the subscribers can have uniform STBs.

I come to the new Section 4A. So far as free-to-air channel is concerned, who would be the deciding authority? Would it be the executive, would it be at the whims and fancies of the Government? They can say that this package belongs to the free-to-air channels and that package does not belong to the free-to-air channels. So the discretionary power should never be vested in the executive because it would lead to corruption. There is no doubt about it. There should be an independent authority to regulate the entire system. I would request the Minister to take this point into consideration.

I would like to seek one clarification in regard to the addressable system. Would the subscriber who is having an addressable system or STB be entitled to have a free-to-air channel? Is such a mechanism there? If I have a cable television connection and a STB has been installed in my house, am I entitled to have access to the free-to-air channel? Would the Minister clarify it?

I would like to make a suggestion in regard to having 'the hub' at the national level. The pay channels get down-linked at one point - the hub - on Indian soil and decrypted. We should have a hub on the Indian soil and it should be decrypted. By the use of one most suitable encryption - CAS - technology, all the down-linked channels are encrypted and up-linked.

Encrypted pay channel signals up-linked from 'the hub" are down-linked by the cable operators and straightaway transmitted to the

householder. The STB at the householders end decrypts only the desired channels for the householder to see and pay for only the desired channels.

Non only all Indian cable connectivity records but also total control is done from 'the hub' through the Subscriber Management System, SMS.

The hub can be run and managed by a mutually acceptable new or the existing organisation.

The hub can be run and managed by the Prasar Bharati Corporation itself. This is my humble suggestion.

I would like to make one more point regarding the amendments which were moved in the last Session by Dr. Subbarami Reddy. Those amendments were in regard to the price mechanism and rate, mechanism. I am not quoting those amendments here. The amendment says that the Central Government should be consulted before fixing the rates or before fixing the prices of each pay channel. Such a mechanism should be there. While fixing the rates for various channels, the Central Government should take into consideration the total income earned by the pay channel companies through advertisements.

Madam, considering the revenue which is being received or which is being earned from the advertisement shall, *or* shall not, also be a criterion for fixing up the rate. So, I fully support those amendments, though they are not on the record, because of the prorogation of the House. I want the Minister to respond to my queries. With these observations, I would like to thank the Minister and I fully support the Bill. Thank you, Madam.

श्री अजय मारू (झारखंड) **:** माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । महोदया, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सूचना एंव प्रसारण मंत्री माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर इतने कम समय में इस बिल को लोक सभा में पेश किया। साथ ही मंत्रालय के तथा इस कार्य में लगे टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहूगां जिन्होंने उपभोक्ताओं के साथ-साथ केबल आपरेटरों, ब्राडकास्टरों की भी परेशानी को ध्यान में रखकर इस बिल को तैयार किया है। इस विधेयक के माध्यम से 1995 में बने अधिनियम में कुछ संशोंधान करने का प्रस्ताव है क्योंकि पिछले वर्षो में निजी चैनलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और कई चैनलों ने अपने कार्यक्रमों के लिए राशि निर्धारित कर दी है यानी पे

चैनल हो गए हैं। सूचना हम सबके लिए बहुत मायने रखती है और इस लिहाज से टेलीविजन का महत्व बहुत बढ़ गया है। अभी तक जो व्यवस्था है इसमें पूरे देश में करीब चार करोड़ घरो तक केबल ऑपरेटरों का यह जाल फैला हुआ है और प्रतिदिन इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और केबल ऑपरेटर यह फैसला करते हैं कि कौन सा चैनल दिखाना है और कौन सा नहीं । ऐसी शिकायतें भी हैं केबल ऑपरेटर अपनी मर्जी से शुल्क में मनमानी वृद्धि करते रहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व सदस्यों ने कहा कि पिछले वर्षो में इसमें चार सौ से पांच सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दिनों में इनकी एसोसिएशनों ने एक निर्णय लेकर इनका न्यूनतम मूल्य 360 रूपए प्रति माह निर्धारित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्राहकों को उन चैनलों के लिए भी शुल्क देना पड़ता है जो वे नहीं देखना नहीं चाहते और उन चैनलों से वंचित रहना पड़ता है जिन्हें वे देखना चाहते हैं। जब वे इन सबकी शिकायत करते हैं तो केबल ऑपरेटर इनका दोष चैनलों पर डाल देता है। वे कहते हैं कि वह मनमाना शुल्क लेते हैं। एक केबल ऑपरेटर के अन्तर्गत आने वाले ग्राहक को पे चैनल के ऑपरेटरों द्वारा भुगतान नहीं करने पर चैनल दिखाना बंद कर दिया जाता है । ब्रोडकास्टर्स केबल ऑपरेटरों पर दोष देते हैं कि वह ग्राहकों की सही संख्या नहीं बताते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जितने पे चैनल हैं, वे ग्राहकों की संख्या के हिसाब से ऑपरेटर से शुल्क लेते हैं। सोनी जी तथा स्टार टीवी ने अपना एक पैकेज बना लिया है और प्रति पैकेज 40 रूपए के हिसाब से शुल्क लेते हैंृ जो ऑपरेटर शुल्क नहीं देते हैं कई बार उनको बंद भी कर दिया जाता है । सही संख्या नहीं बताने से सरकार को मनोरंजन कर के रूप में और सर्विस टैक्स के रूप में भी काफी नुकसान होता है। इन सब बातों के चलते ग्राहक जिसकी एक बहुत बड़ी संख्या है, चाहते थे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है । इस बिल के माध्यम से केबल युद्ध में पिसते ग्राहकों को राहत देने की तैयारी की जा रही है और टेलीविजन दर्शकों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद, कानून बन जाने पर दर्शकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा। इस बिल के माध्यम से केबल ग्राहकों के लिए दोहरी व्यवस्था लागू होगी। पहली 'फ्री टू एयर' यानी मुफ्त चैनल जिसमें डीडी, आज तक, सहारा टीवी, सब टीवी और बीबीसी और कई ऐसे चैनल हैं जो इसके अतंर्गत आते हैं जो निशुल्क ग्राहक तक पहुंचाए जा सकेंगे। इसमें भी देश के अलग –अलग क्षेत्रों में कितने चैनल फ्री केबल ऑपरेटरों को दिखाना है। यह भी निश्चित किया जाएगा और इस सेवा के लिए सरकार एक न्यूनतम दर तय करेगी। दूसरी व्यवस्था पे चैनल की है, जिसके माध्यम से दर्शकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा तथा उन्हें उन चैनलों के लिए एक निश्चित राशि देनी होगी। दूसरी व्यवस्था के लिए ग्राहकों को सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा। सेट टॉप बॉक्स के बारे में कुछ पूर्ववक्ताओं ने ऐसी आशंका जाहिर की कि यह एक मंहगी टैक्नोलॉजी है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आज से दो दशक पूर्व सर्वप्रथम टी.वी. आया था, तब उसकी कीमत सत्तर से अस्सी हजार रूपए थी। लेकिन जैसे-जैसे तकनीक का विकास हुआ है, वैसे-वैसे आज यह इतना सस्ता हो गया है कि सात से दस हजार रूपए में भी रंगीन टी.वी. उपलब्ध हो जाता है। उसी प्रकार से मोबाइल फोन जब आए थे तो उनकी कीमत प्रारंभ में चालीस से पचास हजार रूपए थी लेकिन आज यह तीन-चार हजार रूपए में भ प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से सेट टॉप बॉक्स भी अलग-अलग तरह से उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसकी टेक्नोलॉजी के विकास पर काम हो रहा है और जहां तक इसके मूल्यों का प्रश्न है तो इलेक्ट्रोनिक सामान के निर्माताओं की एसोसिएशन में एक ऐसी धारणा है कि अगर इसकी एक लाख तक मांग होगी तो

इसकी कीमत दो हजार तक आएगी और अगर यही मांग दस लाख तक बढ़ गई तो इस ऐनालॉग की कीमत कम होकर पंद्रह सौ रूपए हो जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा है कि एनालॉग टेक्नोलॉजी से बनने वाले ये उपकरण जब धीरे-धीरे घरों में बनने लगेंगे, तब इसकी कीमत और कम हो जाएगी। पे चैनल प्राप्त करने के लिए यह एक अनिवार्यता है। भारत सरकार के ब्यूरों आफ इंडियन स्टैण्डर्ड ने सेट टॉप बॉक्स के मानक तय कर दिए हैं। ये दो तरह के होगे- एनालॉग और डिजिटल। इस बिल के पारित हो जाने के बाद केबल के व्यवसाय में भी पारदर्शिता आएगी और नहीं देखें जाने वाले चैनल के नाम पर वसूली के अन्याय से भी ग्राहक बच सकेगा। कई ऐसे चैनल हैं जिन्हें ग्राहक के परिवार वाले देखना नहीं चाहते । जो पाश्चात्य संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय महोदया, मैं माननीय सदस्या श्रमती सरोज दुबे की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे कई ऐसे धारावाहिक निर्माता हैं, जो ऐसे धारावाहिक प्रसारति कर रहे हैं जिनका हमारी सामाजिक एंव पारिवारिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। उन धारावाहिकों के हर एपिसोड में घर के झगड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बड़े-बड़े व्यापार का डिवीजन, रेप और डकैती जैसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इनका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा यह हम सब जान सकते हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से इन पर कुछ प्रतिबंध और दिशा-निर्देश की अपेक्षा रखता हूं।

इस बिल के पास हो जाने से दूसरा फायदा हमारी सरकारों को होगा। जब ग्राहकों की एक निश्चित संख्या पता चल जाएगी तो मनोरंजन कर और जो दूसरे सर्विस टैक्स हैं, तब उनकी राशि में भी बढ़ोतरी होगी । ब्रॉडकास्टर्स को जब सही संख्या का पता चलेगा तो उन्हे भी प्रति कनेकशन अधिक राशि प्राप्त होगी । हांलाकि उन चैनल्स को नुकसान भी होगा जिन चैनलों के दर्शकों की संख्या काफी कम हैं और वे भी इसे दिखाते हैं। इस बिल को पारित हो जाने के बाद पे चैनल्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। अभी तक कुछ चुनिदा घरों में लगे मीटर के जरिए, विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से यह जाना जाता था, इनकी रेटिंग होती थी और इसी के आधार पर विज्ञापनों की दरे तय होती थी लेकिन अब सेट टॉप बॉक्स के जरिए किसी भी चैनल की लोकप्रियता का सटीक अंदाजा लगाया जा सकेगा। हो सकता है कि यह बात कुछ चैनल्स को परेशान करे और ऐसे चैनल अपने चैनल को मुफ्त चैनल में बदल दें। इसका भी आखिरी फायदा ग्राहकों को ही होगा। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि केबल ऑप्रेटर्स की फ्री टू एयर और पे चैनल्स को अपने शुल्कों को डिसप्ले करना होगा तथा समय-समय पर सरकार को इसकी रिटर्न देनी होगी। जैसा कि प्रावधान है कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद, पूरे देश मे चरणबद्ध रूप से, एक समय सीमा में लागू हो जाने के बाद इसका फायदा होगा। यह पहले मैट्रो शहरों में लागू किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इसे पूरे देश में यह एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई तकनीकी मसले इससे जुडे हैं। इनको चरणों में लागू किया जाएगा । मेरा मंत्री महोदया को सुझाव है कि प्रथम चरण में इसे मैट्रो सिटीज के साथ-साथ अन्य प्रदेशों की राजधानियों में भी लागू किया जाना चाहिए। उपसभापति महोदया, अतं में एक बात कहना चाहूंगा कि इस बिल का न तो कोई राजनीतिक उद्देश्य है और न ही यह किसी दल का मामला है। इसमें सीधे-सीधे उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की बात है। उपभोक्ता यह तय करेगा कि उसे क्या चाहिए और सरकार यह तय करेगी कि ग्राहकों पर केबल सेवा शुल्क लगाया जाए। कुल मिलाकर यह बिल किसी पर नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि एक सुचारू व्यवस्था के लिए लाया गया है। मुझे

भरोसा है कि जिस तरह लोक सभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया, यह सदन भी इसे उसी तरह पारित करेगा।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल को पारित किए जाने का समर्थन करता हूं और महोदया आपने जो मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It was his maiden speech. You can clap Now Mr. Rajiv Shukla,कितना समय लेगें आप ?

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) **:** मैं कम से कम समय लेता हूं। टू द प्वांइट बोलता हूं।

उपसभापति : आप बोल दीजिए फिर मिस्टर फाली नारीमन, एण्ड दैट्स इट।

श्री राजीव शुक्ल : सदन में अभी तक की जो बहस हुई है उससे लगता है कि केबल आपरेटर्स से सबको शिकायत है। दो किस्म की बातें उभरकर आई हैं। एक तो यह कि केबल आपरेटर्स बहुत मनमानी करते हैं, ग्राहकों को बहुत तंग करते हैं। दूसरी यह है कि ग्राहक जो देखना चाहते हैं वह उन्हें देखने को नहीं मिलता है। ये दो शिकायतें आई हैं। अगर बिल को देखा जाए तो इन्हीं दोनों शिकायतों का समाधान मंत्री जी ने किया है। इसकी मांग करने की कोई जरूतर नहीं है। आलरेडी बिल के अंदर इन्हीं दो प्रावधानों को उन्होंने डाला हुआ है जिससे केबल आपरेटर्स अब न मनमानी कर सकेंगे, मनमाने ढंग से पैसे नहीं बसूल कर सकेंगे, न ही वे वह दिखाएंगे जो ग्राहक नहीं देखना चाहते हैं। अब जिस तरह से आप किसी रेस्तर्रा में जाइए और लिस्ट लगी हुई है कि यह डिश इतने में, यह डिश इतने में, उसी तरह से मंत्री जी ने इस बिल के जरिए यह प्रावधान कर दिया है कि आप जो देखना चाहे उसका यह पैसा है, आप लोग दीजिए और उस हिसाब से उसको दे दिखाएंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : A la carte

श्री राजीव शुक्ल : A la carte मैं इसके लिए सुषमा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ा यह तोहफा दिया है।

श्री सुब्बारामी रेड्डी जी कह रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ बात है वह पता लगनी चाहिए। लोक सभा मे पास होने के बाद राज्य सभा में इतना वक्त कैसे लग गया? यह तो दुर्भाग्य की बात है कि वक्त लग गया। इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज खुशी की बात यह है कि सदन में कुल मिलाकर इस पर सहमति है। कुछ लोग जो हमेशा हर चीज का विरोध करते हैं, हो सकता है कि वे आज इस बात का भी विरोध कर रहे हो। इसलिए आदतन उस बात को छोड़ देना चाहिए और उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।

मैडम, केबल आपरेटर्स को लेकर जो शिकायते आ रही हैं, निश्चित रूप से वे सही हैं। ग्राहक सचमुच केबल आपरेटर्स से बहुत तंग हैं। अक्सर केबल आपरेटर्स की आपस में लडाई चलती रहती है – तार काट देना, रिसेप्शन ठीक न होना, मन चाहे पैसे वसूलना। ये बिलकुल सही बातें हैं। यहां तक कि दिल्ली में एक और नयी बात शुरू हुई है, और भी जगह है, मुझे पता नहीं है। दो हजार रूपए तो लेते हैं। इसके बाद हर टीवी पर है। अगर आपके घर में तीन टीवी सेटस हैं तो तीनों का अलग अलग लेगे। कनेक्शन से नहीं। अगर यह ब्राडकास्टर्स की शिकायत है कि ये कितने कनेक्शन कितने घरों को देते हैं उस हिसाब से पैसे ले लें तो यह बात नहीं रह जाती है। घरों के अदंर कितने टीवी सेट्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग पैसा लगता है। इसका भी ध्यान अगर आगे रखा जाए जिसके लिए एक प्रावधान मंत्री जी ने किया है तो इससे अब उनको ट्रांसपैरेंट सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। केबल आपरेटर्स कितने घरों में कनेक्शन दे रहे हैं और कितने पैसे ले रहे हैं, इसका विवरण उन्हें सरकार को देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यह सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिल की है। इसके जरिए सरकार वह पता लगाने में कामयाब होगी कि कितने घरों से कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कितने कनेक्शन जा रहे हैं, और ब्राडकास्टर्स को कितना पैसा जा रहा है। इससे सरकार को जो एक आमदनी इस टैक्स की होने वाली है उससे भी एक फायदा मिलेगा, वरना अभी तक यह इन्कम जबर्दस्त तरीके से छिपाई जा रही है। पंडा जी, जो सबसे बड़ा नेटवर्क उड़ीसा में चलाते हैं , उन्होंने खुद इस बात को कहा कि इस तरीके की गड़बड़िया होती हैं । यह वे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। तो निश्चत रूप से सरकार ने इस बिल में जो यह प्रावधान डाला है, मेरे ख्याल से यह एक बहुत अच्छी बात है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि डीडी - 1 और डीडी – 2 की तरफ अभी भी बहुत अन्याय केबल आपरेटर्स कर रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है जब कि यह मस्ट कैरी क्लाज में आता है, इनको नहीं दिखाया जा रहा है । तमाम होटलों में तमाम जगह एक न एक चैनल को गायब कर देते हैं। अगर डीडी- 1 दिखाएंगे तो डीडी- 2 नहीं दिखाएंगे, अगर डीडी – 2 दिखाएंगे तो डीडी- 1 नहीं दिखाएंगे। इसके लिए जो दण्ड के प्रावधान हैं वे और कड़े करने चाहिए और जो इसके लिए अथारिटीज हैं उनके हाथ और मजबूत करने चाहिए।

मंत्री महोदया ने जो इसमें फ्री टु एयर चैनल और डालने की बात कही है, मेरे ख्याल से यह बहुत स्वागत योग्य बात है। जितने मुफ्त के चैनल हमारे दर्शकों को देखने को मिल सकें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और उसमें शिक्षा से जुडी या समाज की अन्य चीजों से जुड़ी बातें जो चैनल दिखातें हैं उनको फ्री टू एअर उसमें डालना चाहिए और डीडी- 1, डीडी – 2 अर्थात् दूरदर्शन के दो-तीन चैनल्ज के लिए तो इतना आप कर ही दीजिए कि निश्चित रूप से उनको दिखाया जाए। साथ ही इसके लिए अभी जो दंड का प्रावधान एक हजार से लेकर पांच हजार रूपये तक हैं, मेरे ख्याल से उसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि केबल ऑपरेटर्स इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकें। ब्रॉडकास्टर्स की यह शिकायत भी सही है कि केबल ऑपरेटर्स उनको पैसा नहीं देते हैं। लेकिन एक बात जो मि0 पंडा ने कही कि पे चैनल्ज के मूल्य में 1400 परसेंट वृद्धि हुई हैं, मेरे ख्याल से यह बहुत ही अलार्मिंग बात है। स्टॉर प्लेंस ने अगर एनाउंस

किया है कि 25 परसेंट वह कटौती करेंगे तो यह स्वागत योग्य बात है। मेरे ख्याल से बाकी ब्राडाकस्टर्स को भी इसी किस्म की घोषणा करनी चाहिए कि वे जो धनराशि लोगों से लेते हैं, उसको कम करे।

एक बात इस तरह के विज्ञापनों के बारे में कही जाती है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग के बारे में, चाहे यह शराब से संबंधित हो या तंबाकू से संबंधित हो, इसका नुकसान सिर्फ दूरदर्शन को क्यों किया जाए, इसका सफरर या लूजर सिर्फ दूरदर्शन ही क्यों रहे, इसे सभी पर एक समान लागू करना चाहिए। ...(व्यवधान)... मेरा यह कहना है कि सिर्फ दूरदर्शन ही इस नुकसान को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? या तो फिर दूरदर्शन को भी एलाउ करिए, उसमें वे सिर्फ स्टैटुटरी वानिंग डालते जाएं, वैधानिक चेतावनी डाल कर विज्ञापन दिखाए, वरना यह सैंकड़ों हजारों करोड़ का नुकसान सिर्फ दूरदर्शन को होता है और जितने सैटेलाइट या प्राइवेट चैनल हैं, वे इसका पूरा फायदा उठाते हैं। सरकार की एक नीति होनी चाहिए। या तो सब के लिए बंद हो अन्यथा दूरदर्शन को भी वैधानिक चेतावनी डाल कर विज्ञापन दिखाने की इजाजत दी जाए। दूरदर्शन को उस पैसे से क्यों वंचित किया जाए। आखिर सरकार ही इन सब चीजों का लाइसेंस देती है। आप सब तरफ देखिए इसिलए इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक बात और मैं डा. सुब्बारामी रेड्डी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किस टीवी चैनल के किस चेयरमैंन से मैडम की क्या बात हुई वह सदन में बताए, मेरे ख्याल से यह मांग उचित नहीं है और यह नहीं होना चाहिए।

महोदय , कुल मिला कर इस तरह का यह जो प्रगतिशील विधेयक सरकार लाई है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी लाई हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं धन्यवाद।

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I also, amongst many, many others, welcome this Bill. I believe, Sir, that it is an object lesson on how not to forget a regulatory law after it is passed. Continuous supervision over a law, after it is enacted, shows, I think, a maturity of approach that I welcome and which, I think, other Ministries would be well-advised to adopt. The Cable Television Networks (Regulation) Act was enacted in 1995. It envisaged skeletal regulation, and the Ministry of Information and Broadcasting has been monitoring results and performance. When an Act like this is working for more than five years, inevitably, problems get thrown up, like frequent arbitrary hikes in subscription charges; consumer problems, like ensuring every subscriber receives a minimum number of free-to-air channels and does not have to pay for channels which a consumer does not wish to view. Bu', I think, one problem that I face in my area is that cable channels provided go off the air far too frequently, and some attempts should be made under the news gathering information clause to ascertain how many breakdowns in transmission have been there

4.00 p.m.

during a single day, and to discipline cable service-providers so that they actually provide the service they profess to provide.

Sir, on another point, now that the Convergence Bill has gone through the Select Committee and many Members have expressed, in the Report already tabled in this House, doubts about the need to have a mammoth consolidating law, at least, in the foreseeable future. I think, it is but right that the 1995 Act be amended to iron-out the creases that have arisen during its implementation.

When some of us took steps at the instance of the Prime Minister, to draft the Convergence Bill, we envisaged a super regulator to cover all aspects of communications and called it "Communications Commission." But, in India, whenever we have a regulator to act as a facilitator, it does tend to get heavy-handed; and the suspicion has grown. Hence, the reluctance to go through, at an early date, the enactment of the Convergence Bill. But, in the meanwhile, it is heartening that with a simple measure of 'dos' and 'don'ts' with criminal sanctions, steps to protect the interests of a limited class of consumers served by the 1995 Act are being taken up and I would compliment the hon. Minister and her Ministry for not forgetting the consumers of cable TV networks and responding to their grievances.

One last word on what my hon. friend, Smt. Saroj Dubey, has said. I am sorry, I don't like censorship in any form; because once it starts, it is a slippery slope and it never ends. If MTV shows films which children should not see, I believe, a dialogue with those responsible for the channel is the only way. Persuade the promoters to project undesirable programmes after ten or eleven in the night, and not ban them. Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी । उपसभाध्यक्ष जी, कुल मिलाकर मेरे 15 सांसद साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया और सभी ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही, एक बहुत ही सुखद संयोग ....

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) **:** मंत्री जी, मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आप के मन की बात जानती हूं, जमना देवी जी।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : मैं आप के प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करती हूं। पहले हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के तहत कहा जाता था, "नारी सर्वत्र पूज्यते", लेकिन आज मैं यह दावे के साथ कहूंगी कि, "नारी सर्वत्र नगण्य" हो गयी है। ...(व्यवधान)... आज बच्चों ने बड़ों का मान, सम्मान और प्रणाम करना छोड़ दिया है। उस की जगह "तू" "ता" की भाषा और "डिस्को" हो गया है। इसलिए मैडम, अगर आप इस ओर ध्यान दे तो अच्छा होगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद, जमना देवी जी। उपसभापति जी, इस चर्चा में एक बहुत ही सुखद संयोग उपस्थित हुआ कि एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता डा. लक्ष्मीमल्ल सिंधवी ने सांसदों की तरफ से इस चर्चा की शुरूआत की और दूसरे वरिष्ठ अधिक्ता श्री फाली एस. नारीमन ने सांसदों की ओर से इस चर्चा का समापन किया। मुझे नही मालूम इस से पहले कभी ऐसा संयोग किसी चर्चा में आया हो। महोदय, डा. सिंघवी यहां बैठे होते तो अच्छा होता । मैं तहे दिल से डा. सिंघवी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी । उन्होंन बड़े खुले दिल से इस चर्चा का समर्थन किया जिस से एक बड़ा पोजिटिव टोन सेट हो गया और पूरी-की-पूरी चर्चा उसी सकारात्मक तर्ज पर चली ।

उपसभाध्यक्ष जी, इस चर्चा के दौरान कुछ प्रश्न उठाए गए और कुछ आशंकाएं भी प्रकट की गयी है। मैं उन तमाम प्रश्नों का उत्तर और आशंकाओं का निराकरण करना चाहूंगी, लेकिन तहे दिल से सदन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इस सदन में मुझे एक स्वर से आवरव्हैल्मिग सपोर्ट मिला है। श्री प्रभाकर रेड्डी, जी ने टी.डी.पी की तरफ से कुछ सवाल उठाए । उन्होने पहले वाक्य में बिल का समर्थन किया लेकिन उस के बाद उन्होंने दो सवाल किए जिन का मैं उत्तर दे दूं। एक बात उन्होंने कही कि सरकार अपनी ओर से चैनल्स डिसाइड करेगी, यह एक अनावश्यक हस्तेक्षप होगा। यह एक ऐसा इंटरफिरेंस हैं जिसे सरकार को नहीं करना चाहिए। रेड्डी साहब, आप का भय निराधार है। सरकार कही कोई चैनल का स्पेसिफिकेशन नहीं कर रही है। इस पूरे-के-पूरे बिल मे हम कहीं वह अधिकार नहीं ले रहे हैं जहां हम चैनल्स स्पेसिफाइ कर रहे हो। उपसभाध्यक्ष जी, हम तीन चीजों का अधिकार ले रहे हैं – नंबर ऑफ बेसिक सर्विस टियर्स कि बेसिक टियर्स में चैनल्ज की कम-से-कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 'जेनरवाइस कि वह संख्या तो हो, लेकिन यह नहीं कि सारे-के-सारे समाचार के चैनल्स दे दो। उस में समाचार, मनोरंजन, खेल, शिक्षा, सभी का मिश्रण होना चाहिए और राशि, मिनिमम चैनल्स और मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन हम कहीं नहीं कहने जा रहे हैं कि समाचारों मे अमुक चैनल होंगे, मनोरजंन में अमुक चैनल, फिल्म आधारित कार्यक्रम मे अमुक चैनल होंगे। यह उपभोक्ता की रूचि पर मयस्सर होगा और उपभोक्ता की रूचि में सरकार कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । हम कहीं यह तय नहीं करेंगे कि यह चैनल डालो, यह चैनल नहीं डालो। नंबर तय कर देंगे, जोन तय कर देंगे, राशि तय कर देंगे, लेकिन कहां कौनसा चैनल दिखाया जाए, कौनसा चैनल न दिखाया जाए यह हम तय नहीं करेंगे, उपभोक्ता स्वयं तय करेगा। केबल आपरेटर बताएगा कि मेरे पास यह चैनल उपलब्ध हैं, इनमें आपको कौनसा चाहिए? उपभोक्ता उसमें स्वयं तय करेगा, हम तय नहीं करेंगे। दूसरी बात, पता नहीं आपको कहां से जानकारी

मिली, वह बिल्कुल गलत जानकारी है, जैसा उन्होंने कहा कि डीडी तो फ्री टू एअर हैं, जो बिना सीएएस के जाएगा और बाकी जो फ्री टू एअर हैं वह सीएएस के थ्रू जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी फ्री टू एअर चैनल बिना सीएएस के जाएंगे और इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप यह बिल उठाकर देखिए, हमने जी फ्री टू एअर की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, उसमें इसको स्पष्ट कर दिया है । यह पेज नंबर तीन पर उपधारा , "ई" को आप पढ़िए, जहां हमने फ्री टू एअर चैनल को डिफाइन किया है –

> "free-to-air channel", in respect of a cable television network, means a channel, the reception of which would not require the use of any addressable system to be attached with the receive set of a subscriber."

तो, उपसभाध्यक्ष महोदया, सभी फ्री टू एअर, चाहे वह ईटीवी के 11 चैनल हैं या डीडी के हैं, चाहे जो भी फ्री टू एअर हैं, उनको सीएएस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होगी। यह दोनों के दोनों भय आपके निराधार थे। मुझे लगता है कि मैंने उनका समाधान कर दिया है।

महोदय, इसके बाद पृथ्वीराज जी चव्हाण जी बोले। उन्होंने दो बातें खास तोर पर रखी। मुझे लगता है कि वह चिंता सभी माननीय सदस्यों की हैं क्योंकि बहुत से माननीय सांसदों ने इस सेट टाप बॉक्स की अवेलिबिटी की बात को रखा । यह चिंता होना बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि जब हम यह बात कहते हैं कि नया सिस्टम आएगा, बक्सा लगेगा तो तरह तरह की बाते सामने आती हैं कि आखिर यह बक्सा कितने का होगा। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पांच हजार, सात हजार का हो जाएगा, किसी एक ने तो कहा कि दस हजार का हो जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि अजय मारू जी के पास यह जानकारी थी जो उन्होंने माननीय सदन को दी। मैं अपनी ओर से बताना चाहूंगी कि जो मैनुफैक्चरर हैं सेट टोप बॉक्स के , अभी तक तो अपने यहां कोई मैनुफैक्चरर था नहीं, यहां बनता नहीं था, लेकिन जो एसोसिएशन इन चीजों को बनाती हैं , सेटमा उनका नाम है, उनसे लोगों को बुलाकर मैंने बाकायदा बात की। उन्होंने अपने आंकड़े दिए कि अगर एक लाख के करीब सेट टोप बॉक्स की जरूरत होगी तो शायद 2500/- रूपए की कीमत बनेगी, अगर पांच लाख की जरूरत होगी तो यह 1750/- रूपए में मिल जाएगा और अगर दस लाख की जरूरत होगी तो 1500/- रूपए में मिल जाएगा और आपको मालूम हैं कि हमारे यहां चार करोड़ केबल होम्स हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनों को इसकी जरूरत होगी। यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि शुरू में यह चीजें महंगी होती हैं और जैसे ही इन चीजों की एक लंबी मांग आती है वैसे ही झटपट झटपट इनकी कीमतें घटनी शुरू हो जाती हैं। सेलफोन से ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा, जिसका इंस्ट्रमेंट कुछ साल पहले तक दस हजार या पन्द्रह हजार रूपए में मिलता था, अब यह आसानी से तीन हजार रूपए मे मिल जाता है। अभी तो अपने यहां यह टेक्नोलोजी कोई हाईफाई नहीं है। अगर एक बार यह मेंडेट हो जाये तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान में घर घर में यह सेट टॉप बॉक्स बनने लगेगा, छोटी छोटी दुकानों पर यह मिलने लगेगा। इसलिए यह जो चिंता है कि कोस्ट इसकी कितनी होगी, इतनी ज्यादा तो नहीं हो जाएगी कि कन्ज्यूमर खरीद ही न सके, उसका समाधान हमने किया है। अवेलिबिटी का जहां तक है, इम्पोर्ट भी हो सकता है

क्योंकि बाहर भी बहुत बनते हैं, लेकिन अपने यहां इतना ज्यादा इसका काम हो जाएगा कि एक दिन इसको इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बल्कि इस तरह की एक और इंडस्ट्री को यहां बूम मिलेगा। इसलिए कोस्ट और अवेलिबिटी, दोनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल को लाने से पहले हमने इस बारे मे समाधान सोचा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात जो उन्होंने कही, वह यह कि एनलोग और डिजिटल के बजाय केवल डिजिटल रखों तो अच्छा होगा। इस संबंध में मैं पृथ्वीराज भाई से यह कहना चाहूंगी कि यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं हैं? क्योंकि आज हमारे जो रिसीवर सेट्स हैं वह ज्यादातर एनलोग मोड में ज्यादा जरुरी है बजाय डिजिटल मोड के । तो उनका यह कहना है कि हम इसको डिजिटल मोड में रखें, हैं। जब हमारे रिसीवर सेट डी डिजिटल नहीं हैं, तो डिजिटल सेट टोप बॉक्स लाकर हम क्या करेंगे? यहां तक कि हमारे केबल आपरेटर जो सिग्नल रिसीव करते हैं केबल हैड एंड पर, उनमें भी जो डिजिटल मोड में आता हैं उसको केबल आपरेटर हैड एंड पर पहले एनलोग में परिवर्तित करते हैं और फिर घरों में एनलोग मोड में भेजते हैं । इसीलिए आज के दिन हमारे सेट टोप बॉक्स एनलोग मोड में रखें, सही नहीं होगा। हम ने इसे एनलोग और डिजिटल दोनों में रखा है। जो बीआईएस की स्टेडर्डाइजेशन कराने की बात हमने कही थी, मैं आपको यह भी बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो बिल का समय गुजरा उस दौरान वह स्टेंडर्डाइजेशन भी हो गया। बीआईएस ने एनलोग का स्टेंडर्डाइजेशन कितना है, डिजिटल का कितना है, वह स्टेंडर्ड तय कर दिए हैं। तो वह समय भी बर्बाद नहीं हुआ बल्कि उतने समय में वह तमाम काम हो गया, जो बिल पारित करने में लगा। यह इनलोग और डिजिटल, दोनों में हमने रखा है। यह दोनों मोड में होगा, जिसको जो चाहिए, जिसको जो खपे वह उसे ले सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, चन्द्रन साहब ने दो बातें रखीं। उन्होंने पहले तो यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंटस बहुत काम करती है तो क्या स्टेट गवर्नमेंटस को भी केबल के माध्यम से इन्फार्म करने का, ऐजुकेट करने का, अपने कार्यक्रमों को बताने का मौका मिलेगा या नहीं? यहां मैं एक चीज उन्हें बता दूं कि जहां तक प्राइवेट चैनल्स का सवाल है, प्राइवेट चैनल तो अपने व्यापार की दृष्टि से सब चीजें देखते हैं कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, लेकिन जहां तक दूरदर्शन का सवाल है, हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं और हमारी हर रीजनल सैटेलाइट सर्विस में मुख्य मंत्री समय मांगते हैं, उनको समय मिलता है। यहां भी अगर आप देखते हो तो "दिल्ली डायरी" आती है जो दिल्ली सरकार बनाती है, हिमाचल में "हिमाचल डायरी" आती है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री समय मांगते हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री समय मांगते है। तो दूरदर्शन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के नाते उनको समय भी देता हैं और जो भी उनको अपनी योजनाएं बतानी होती है, मुख्य मंत्री उसमें उनका जिक्र भी करते हैं और यह सिलसिला चल रहा है।

जहां तक आपने "एफ टीवी" और "एम टी वी" की दिक्कत बताई और कहा कि यह समाप्त होना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि यह बिल उस दृष्टि से एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह बिल रेगुलेशन बाई चॉयस देने जा रहा है। आज तक आपके घर में आप चाहें या न चाहें, हर चैनल आ रहा था, लेकिन इसके बाद केबल ऑपरेटर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा चैनल चाहिए और जो आपको नहीं चाहिए वह उसे आपको नहीं देगा। तो रेगुलेशन बाई चॉयस के लिए यह बिल आगे एक बहुत बड़ा कदम होगा ।

चन्द्रन जी के बाद श्री नीलोत्पल बसु जी बोले थे, बैठे नहीं हैं, अच्छा होता वे रहते क्योंकि एक अकेला विरोध का स्वर अगर कही से आया तो वह उन्हीं का आया था। लेकिन जब वे बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था । एक आश्चर्य तो मुझे इसी बात का हो रहा था कि सारों जिंदगी कमांड इकॉनमी की वकालत करने वाले मेरे कामरेड इस बिल के संदर्भ में मार्किट इकानमी की वकालत कैसे कर रहे हैं। वे उनके पक्ष में रातो-रात कैसे हो गए, वह मेरे लिए और शायद आपके लिए भी रहस्य का विषय होगा, जिसकी खोज करनी होगी कि विचार हतने प्रगतिशील कैसे हो गए । लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही कि कन्वजैंस कमीशन बिल आ रहा है, तो यह बिल रिडेंडेंट हो जाएगा, उस बारे में बता दूं कि यह बिल रिडेंडेट नहीं होगा, उपसभाध्यक्ष जी, यह बिल उसमें सबस्यून हो जाएगा और बिल के सबस्यून होने का मतलब यह होगा कि ये जो प्रावधान बिल के हैं, जिन्हें इन्फॉरमेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री देखेगी, उन्हें वह ब्रॉडकास्टर लागू करेगा। इसलिए अब बिल रिडेंडेंट नहीं होगा और कन्वर्जेस कमीशन जब तक आएगा क्या तब तक हम बैठें रहे ? आज जो समस्या हैं, उस समस्या का यदि आज समाधान न करें तो यह सही सोच नही हैं । तो ये जो चीजे यहां कही गई हैं अश्लीलता के बारे में और बॉकी चीजों के बारे में, यह कांटेंट रेगुलेशन इसीलिए रूका पड़ा हैं क्योंकि हमारे ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में कहा गया कि वह रिडेंडेट हो जाएगा, इसलिए कम्वर्जेस कमीशन आने दो । यदि हर चीज कन्वर्जेस कमीशन के कारण रूक जाए तो फिर तो ठहराव आ जाएगा, फिर तो किसी समस्या का समाधान होगा ही नहीं । 77 अमेंडमेंट्स स्टेडिंग कमेटी ने कन्वर्जेस कमीशन पर देकर भेजे हैं । कब सरकार उन पर अपना मत बनाएगी, कब उनको लेकर आएगी ? कन्वर्जेस कमीशन के विषय में स्टेडिंग कमेटी मे बहुत लोगों ने मत यह प्रकट किया कि "The time is not yet right for the Convergence Commission Bill." तो यदि तब तक सारी समस्याओं को हम रोके रखें, उनका समाधान न करें तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई सही सोच है । लेकिन मैं तो कह रही थी कन्वर्जेस कमीशन के आने के बाद भी यह बिल रिडेंडेट नही होगा, इन सारे प्रावधानों के साथ यह बिल उसमें सबस्यून होगा, जिसको वह रेगुलेटर देखेगा । इसलिए उनका यह कहना कि कन्वर्जेस कमीशन के कारण हम दो अलग-अलग स्वरों में बोल रहे हैं, दो मंत्री अलग-अलग बात कर रहे हैं और यह बिल इस तरह से आ रहा है, यह बिल्कुल सही बात रही है। यह बिल उसके अंदर सबस्यून हो जाएगा और आज जैसा हम लागू करेंगे, उसी तरह से बाद में भी इसे लागू किया जाएगा ।

उपसभाध्यक्ष जी, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी जी ने यहां कुछ बातें रखी । मुझे नहीं मालूम कि सुब्बारामी रेड्डी जी कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वे विपक्षी बैंचों पर बैठते हैं और विपक्ष में बैठा हुआ आदमी ढूंढता है कि विरोध का कोई नुक्ता तो मिल जाए, कम से कम कुछ तो कह दूं। लेकिन प्रारम्भ में भी इन्होंने कहाT here is no chance to oppose the Bill, बैठते-बैठते भी कहा कि There is no chance to oppose the Bill जब चांस नही है बिल को अपोज करने का तो जरा उदारता से समर्थन करिए । देखिए, मेरी बहन ने खड़े होकर कहा कि मैं तहेदिल से समर्थन करती हूं । उनका मन इस बिल के साथ है और इसीलिए उन्होंने दिल के साथ यह बात कही । रही कंट्रोवर्सी की बात, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे सदन में कोई स्वर कंट्रोवर्सी का आया । एक बात जो विरोध की श्री नीलोत्पल जी ने उठाई, जिसका जवाब मैंने दे दिया, उसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि कहीं से किसी ने कोई विरोध की या कंट्रोवर्सी की बात की हो । सदन के बाहर क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती है ...(व्यवधान)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Then, why is there so much delay in passing this Bill?

SMT. SUSHMA SWARAJ: It is not *delay...(Interruptions).*मैं बताती हुँ ।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: You must tell the House...*(Interruptions)...*There is a controversy...*(interruptions)...*When it was passed in the Lok Sabha long ago, how come it has taken so much time to come before this House?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बताती हूं कि डिले क्यों हुआ । डिले इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार राज्य सभा का सत्र आपने चलने ही नहीं दिया वरना बाकायदा यह बिल लिस्टिड था । उपसभाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि यह बिल वैसे डिले नहीं हुआ, यह बिल उधर से, लोक सभा से पारित होकर सीधे राज्य सभा में आया, तब दो दिन सदन नहीं चला । पिछली बार पहले यह बिल लिस्ट हो गया लेकिन 15 दिन अगर आप सदन की कार्यवाही न चलने दो, काम न चलने दो तो बिल कैसे पास होगा ? इस बार जैसे ही यह बिल आया, अगले हफ्ते हमने इसे लगा दिया । बिल किसी कारण से डिले नहीं हुआ, बिल किसी विवाद के कारण डिले नहीं हुआ, बिल इसलिए डिले हुआ कि पिछली बार यह सदन नहीं चला ....(व्यवधान)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Almost every newspaper has reported that today the Bill is going to be presented and passed. ...(Interruptions)... What is so important about this Bill? What is the great controversy? ...(Interruptions)... Why so much publicity..... (Interruptions)...
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: But, there is no controversy. ... *(Interruptions).* ..That is what I am saying. *...(Interruptions)...* अगर कोई कंट्रोवर्सी होती तो आप मुझे बताते । अगर कोई कंट्रोवर्सी होती तो यहां विरोध का कोई स्वर तो निकलता । सबने इस बिल का समर्थन किया और across the party समर्थन किया । इसलिए इस बिल पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपके मन और जिगर मे कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको तो मैं जान नहीं सकती, मैं कोई अतंर्यामी तो हूं नहीं लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि जिस तरह से overwhelming support हमें मिला है, वह पूरे सदन ने देखा है । श्री षण्मुगसुन्दरम जिस समय बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सही बात कही, जिस बात का और किसी ने कहीं पकड़ा, उन्होंने उस बात को पकड़ा कि सैक्शन 16 में हमने इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाया है । यह बहुत बडी बात है । कॉग्निजिबल ऑफेंस बनाने की बात यह है कि This is not a decorative piece of legislation. It has teeth, यह बिल ऐसा है कि अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लघंन करेगा तो इन प्रावधानों का उल्लंधन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी । उनकी इस बात में सरोज जी की बात का जवाब निहित है । सरोज जी ने कार्यवाही होगी । उनकी इस बात में सरोज जी की बात का जवाब निहित है । सरोज जी ने कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हम आसमान से गिरें और खजूर में अटक जांए, इसलिए कहीं

न कहीं शुल्क तय कर दीजिए। मैं कहना चाहती हूं कि हम इस बिल को खजूर में अटकाने के लिए नहीं लेकर आए हैं। हम इस बिल को इसलिए लाए हैं ताकि दलदल में दबे हुए उपभोक्ता को निकाल सके , जो उपभोक्ता आज त्रस्त है, उन्हें निकाल सकें। हम इस बिल को इसीलिए लाए हैं और यह जो आपने बात कही कि आप शुल्क भी तय करें, तो मैं बताना चाहती हूं कि हमने शुल्क तय किया है। हमने इसमें प्रावधान रखा है कि जो basic tier है उसका मैंक्सिमम शुल्क हम तय करेंगे और पे-चैनल की सूची टंगवा देंगे। आप देखिए कि सैक्शन 4ए(4) मे हमने कहा है, "If the Central Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, specify the maximum amount which a cable operator may demand from the subscriber for receiving the programmes transmitted in the basic service tier provided by such cable operator."

तो हमने तय कर दिया कि दो तरह का regime होगा। एक तो होगा free to air channels का basic tier और दूसरा होगा पे-चैनल का। हमने कह दिया कि जो free to air है उसमें मैक्सिमम amount कि इससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते ताकि हर व्यक्ति को बुनियादी मनोंरजन वाजिब दाम पर मिल जाए। जहां तक पे-चैनल का सवाल है, यह ब्रॉडकास्टर्स तय करेंगे लेकिन हमने यह कहा और जो बात सतीश जी ने भी कही थी कि आज ब्रॉडकास्टर यह कहता है कि मेरा पूरा का पूरा पैकेज लेना पड़ेगा – 40 रूपए में मिलेगा, 30 रूपए मे मिलेगा, 25 रूपए में मिलेगा। हमने कहा – नहीं, हर पे-चैनल की सूची टांगों और यह बताओं कि अगर यह स्टार का चैनल है तो स्टार गोल्ड कितने का, स्टार प्लस कितने का, स्टार न्यूज कितने की, यह अलग-अलग बताओ और इसके बाद यह आप पर निर्भर करता है, अगर आपकी जेब गवारा करती है, अगर आपकी रूचि उसमें हैं , दोनों चीजें अगर गवारा करती हैं तो आप चाहे सारे चैनल ले लीजिए, सारे ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो जो एमाउंट वाला सवाल है basic service tier – सरकार तय कर देगी और उसके बाद हर पे-चेनल की सूची टंगवा देगी और जो आपको चाहिए, वह आप ले लीजिए। आपकी रूचि भी इसमें शामिल होगीं क्योंकि हो सकता है कि आपकी जेब में पैसा है लेकिन आपको देखने में रूचि नहीं है, इसलिए आप उसे नहीं लेंगे। दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे होने जिनकी रूचि होगी लेकिन उनकी जेब गवारा नहीं करती हैं, इसलिए वे नहीं लेंगे। इस तरह दोनों चीजों का मेल बिठाकर जो-जो उसको चाहेगा, वह उसे ले लेगा। इस तरह एमाउंट वाली बात को हम लोगों ने पहले से तय कर दिया है।

महोदय, सतीश प्रधान जी ने जो बातें रखी थी, उन्होंने कुछ सवाल इससे अलग उठाए जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। एक बात उन्होंने यह कही कि केबल ऑपरेटर दूरदर्शन नहीं दिखाते हैं, जिस बात को बाद में राजीव शुल्क जी ने भी कहा कि दूरदर्शन के साथ बहुत अन्याय होता है। वास्तव में यह must carry clause में है और उनको prime band पर दिखाना चाहिए लेकिन वे prime band पर नहीं दिखाते हैं। इसके लिए आप बाकायदा केबल ऑपरेटर की शिकायत कर सकते हैं। हमने इसके लिए authorized officers तय किए हुए हैं और केबल ऑपरेटर की शिकायत करने पर वे authorized officers उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे अगर वह दूरदर्शन को prime band पर नहीं दिखाएगा।

महोदय, एक सवाल सतीश जी ने शराब के ads के बारे में उठाया। राजीव जी की बात का भी जवाब मैं इसी में दे दूं, आपने कहा कि शराब के ads आते हैं, वे कैसे आते हैं? केबल ऐक्ट में शराब के 'ads पर पाबंदी है और हमारे यहां सैक्शन 20 के तहत एक कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी तय करती हैं, suo motu भी तय करती है और कंप्लेंट्स के आधार पर भी तय करती है। हमारे यहां पिछले दिनों हमने उस कमेटी को काफी activate किया और वह कमेटी बहुत सक्रिय हो गई हैं। जितने चैनल्स पर लिकर और तोबेको की एड आ रही थी, सब को हमने नोटिस दिया, एक-एक चैनल को हमने नोटिस दिया, उनके बाकायदा जवाब आए। आधे से ज्यादा तो एड विद्ड्रा हो गए हैं। बाकी लोग जो जवाब दे रहे हैं तथा जवाब के बाद जब हम उनको यह कहेंगे कि एड सरोगेट भी इसमें शामिल है, यह नहीं कि एक ब्रांड लिकर का है और आप उस पर दिखा रहे हैं सोडा, दिखा रहे हैं उस पर मिनरल वाटर, दिखा रहे हैं उस पर क्रिकेट मैच और एप्पिल जूस। सरोगेट एड या एक्च्युअल लिकर की एड या टौबेको की एड आ नहीं सकती। इसलिए हम लोगों ने उस कमेटी को एक्टिवेट करके सब को नोटिस दिलवाए है। नोटिसेज के जवाब आ गए हैं, आधे से ज्यादा एड विद्ड्रो हो गई हैं और जो विद्ड्रा नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी। राजीव जी यहां मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं , आप यह कह रहे थे कि जब पैसा आ रहा है तो इसको दूरदर्शन पर भी दिखाने दो क्योंकि सरकार ही लाइसेंस देती है। सरकार लाइसेंस देती है लेकिन सरकार ग्लोरिफाई करने की इजाजत नहीं देती। दो चीजों में फर्क हैं। अपने घर में बैठ कर कोई पीता है तो पिए, बच्चे को भी पिलाना चाहता है तो उसकी मरजी हैं। लेकिन जब एड आती है, तो वह चीज ग्लोरिफाई होती है, उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। बाकायदा हमने जो कानून बनाया है,यदि कानून की अवहेलना बाकी चैनल्स पर हो रही है इसलिए डीडी पर भी ले आया जाए, नहीं हम बाकी चैनल्स पर उस अवहेलना को बंद कराएंगे और वह कमेटी जो एक्टिवेट हो गई हैं, वह कमेटी कोई भी लिकर एड नहीं आने देगी।

श्री राजीव शुल्क : यह आपने ठीक कहा कि सब पर बंद हो रहा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सब को बंद कराएंगे, इसलिए नहीं कि वह पैसा ले रहे हैं तो डी.डी. भी इससे पैसा कमाए। यह कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, उससे हमारी संताने खराब होती है। इसलिए हम बिल्कुल दूसरे पर बंद कराएगें । इसलिए आप इसमें बिल्कुल चिता न करें। जहां तक शराब की एड का सवाल था, एक बात जो आपने कहा पैकेज वाला उसका जवाब मैंने दिया है कि पैकेज नहीं बल्कि ईच चैनल हम रखेंगे। एक सवाल आपने उठाया कि यह जो एम.एस.ओज. हैं यह सारा का सारा डाटा एम.एस.ओज. के पास रहेगा तो सरकार क्या करेगी। नहीं, आप सैक्शन – 4ए का (9) देखिए :

"Every cable operator shall submit a report to the Central Government in the prescribed form and manner containing the information regarding :-

the number of total subscribers;

subscription rates;

number of subscribers receiving programmes transmitted in basic service tier or particular programme or set of programmes transmitted on pay channel."

एम.एस.ओज. अपने पास नहीं रखेगा । हमने कहा कि यह रिपोर्ट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्मिट करनी पड़ेगी जहां बतलाना होगा कि टोटल नम्बर ऑफ सब्सक्राइबर्स क्या हैं । उसको यह तीनों चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्मिट करनी पड़ेगी । इसलिए यह जो आपको संदेह है कि यह केवल एम.एस.ओज. के पास रह जाएगी और वह इसको किसी भी तरह से टैम्पर कर लेगा, बिल्कुल नहीं । हमने इसके तहत यह प्रावधान डाला है कि वह हमको सब्मिट करेगा। इसलिए यह जो आपकी पैकेज वाली चिंता थी तो मैंने आपको बताया कि हमने इसी में लिख दिया कि ईच पे चैनल पैकेज नहीं इसी में हमने लिख दिया है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सब्मिट करेगा, अपने पास नहीं रखेगा । तो इससे आपका समाधान हो जाएगा। प्रेमचन्द्रन जी ने छोटे-छोटे तीन सवाल पूछें हैं।

श्री सतीश प्रधान : मैंने यह बताया था कि यह सब एडवरटाइजमेंट फॉरेन कम्पनी को देते हैं, स्टार टी.वी., जी टी.वी. वगैरह को । यह जो सब एडवराटइजमेंट पब्लिश होती है तो उसका पैसा यह लोग कौनसी करंसी में देते हैं? इंडियन कंरसी मे देते हैं या फॉरेन करंसी में? वह लोग वहां कौनसी करंसी में लेकर जाते हैं? यदि फॉरेन करंसी में देते हैं तो रिजर्व बैंक की परमिशान ली जाती है या नहीं ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपके इस सवाल पर मैं आ रही थी, इससे अगला प्रश्न था आपका । यह मसला फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हमने आलरेडि इसको फाइनेस मिनिस्ट्री के साथ उठाया हुआ है। हम इस संबंध में वित्त मंत्रालय से बात करेंगे और इसका समाधान वित्त मंत्रालय ही करेगा ।

जहां तक प्रेमचन्द्रन जी का सवाल है , उनके छोटे सवाल थे लेकिन महत्वपूर्ण हैं । एक तो आपने यह पूछा है कि फ्री टू एयर और पे चैनल सरकार तय करेगी ? नहीं, यह ब्रॉटकास्टर तय करेगा । जो चैनल चला रहे हैं वह उसकी मरजी है कि वह उसको पे चैनल के तौर पर चलाए या फ्री एयर चैनल के तौर पर चलाए । अगर उसको लगता है कि एडवरटाइजमेंट से पैसा आ रहा है, उसे सब्सक्रप्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो वह फ्री टू एयर रखेगा अपने चैनल को । अगर वह कहता है कि नहीं मुझे तो सब्सक्रप्शन चाहिए तो वह पे चैनल रखेगा । फ्री टू एयर चैनल कौनसा होगा, पे चैनल कौनसा होगा इसको ब्रॉड कास्टर तय करेगा, हम तय नहीं करेंगे । आपने कहा कि पे चैनल का भी हम रेट फिक्स कर दें । वह सही नहीं होगा । मार्केट इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है । पे चैनल उनका धंधा है। हम यह तो कह सकते हैं कि आप कंज्यूमर्स को बतला दीजिए कि आप

कितने में बेच रहे हैं । वह चाहे तो ले या नहीं ले । लेकिन आप उस पर थोप नहीं सकते, जबरन वसूली नहीं करवा सकते । लेकिन आप अपने चैनल का पैसा क्या रखेंगे यह कम से कम सरकार को तय नहीं करना चाहिए, यह पे चैनल वाले तय करे। लेकिन फ्री टू एयर कौन-सा चैनल होगा, पे-चैनल कौन सा होगा, इसको ब्राड-कास्टर ही तय करेगा और इसका जिक्र श्रीमती माया सिंह जी ने किया । मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आज ही की उस घटना का उल्लेख अपने भाषण में कर दिया, जिसमें आज यह निकला है कि स्टार न्यूज ने अपने पैसे कम कर दिये हैं। उपसभाध्यक्ष जी, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस बात को हम बार-बार कहते थे कि एक बार अगर सी.ए.एस आ गया तो आप देखिएगा पे-चैनल वापस फ्री टू एयर चैनल होने लगेंगे, क्योंकि उनको यह पता चलेगा कि केबल आपरेटर्स जब जाकर यह पूछता है कि आपको यह चैनल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लोग को चाहिए होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे । आज के दिन वे अपने एडवरटाइजर्स को क्या बताते हैं, वे बताते हैं कि मेरा यह कार्यक्रम साढ़े तीन करोड़ घरों में जा रहा है, जो भी रहा है, कोई इसको खोलकर देख रहा है या नहीं देख रहा है, यह सवाल नहीं है । कार्यक्रम जा तो रहा है न तो वह अपने एडवरटाइजर्स को कहते हैं कि साढे तीन करोड़ घरों में जा रहा है। उसका पूरा का पूरा रेवेन्यु उनको मिलता है । लेकिन कल जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कलई खुल जायेगी। किस घर में कौनसा चैनल, कितने सैट टॉप बॉक्स के माध्यम से जा रहा है तो अपने आप एडवरटाइजमेंट रेवेन्यु कौन लेगा, तो आप यह देखिएगा कि पैसे भी कम होगे और फ्री टू एयर भी हो जायेगा, जिसका जिक्र श्रीमती माया सिंह जी ने अभी किया कि स्टार न्यूज वालों ने कहा है कि हम 25 परसेंट पैसे घटा देगें । अभी तो सी.ए.एस. आया है, पारित अभी आधे घंटे बाद होगा, तब से चैनल का पैसा घटना शुरू हो गया, तो आप यह बताइए कि जो हमारा अनुमान था कि इससे फ्री टू एयर होगा या पैसा घटेगा, अल्टीमेटली राहत किसको मिलेगी, उपभोक्ता को मिलेगी, क्योंकि यह पैसा तो केबल आपरेटर उपभोक्ता से वसूल करता है। अगर आज वह कहते हैं कि 42 रूपये की जगह पर 30 रूपये लेगे, तो 12 रूपये की राहत तो आज विधेयक पारित होने से पहले ही मिल गई, विधेयक पारित हो जायेगा तो बाकी सारे के सारे अपने पैकेज को कितना कम करेंगे, यह देखने वाली बात है। इसलिए मैं यह कहना चाह रही हूं कि जो हमने अनुमान लगाकर के बात रखी थी, वह अनुमान हमारा पूरा हुआ है । आप कुछ पूछना चाह रहे हैं । Mr. Premachandran, do you want to say something?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I want to know whether broadcasters of the other channels will be at full liberty to make it "air-free channel'. Will there be any restriction? Will the Government intervene in this matter?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No, there is no restriction. मैंने तो खुद कहा है । बल्कि मेरा अनुमान है कि इससे ये चैनल्स फ्री टू एयर होंगे । आपने यह भी कहा कि सेट टॉप बॉक्स हमारे घर में आ गया, तो मैं फ्री टू एयर देख पाऊंगा या नहीं। आप बिल्कुल देख पायेंगे । पे-चैनल इन एडीशन टू फ्री टू एयर हैं । फ्री टू एयर तो आप देख ही पायेंगे, जिसके यहां बाक्स लगेगा, वह फ्री टू एयर और पे-चैनल दोनों ही देख सकेगा । जिसके यहां सेट टॉप बाक्स नहीं लगेगा वह केवल फ्री टू एयर देख पायेंगा। इसलिए हम तय नहीं करेंगे कि फ्री टू

एयर कौनसा होगा और पे-चैनल कौनसा होगा, इसको ब्रॉड कास्टर अपने आप तय करेंगे । इनके बाद जो बात श्री अजय मारू जी ने रखी, अजय मारू जी ने, लगता है कि काफी लिखा हुआ पढ़ा लगता है इसलिए उन्होंने काफी चीजों का जवाब भी दिया है। लेकिन उन्होंने श्रीमती सरोज दुबे जी के स्वर में स्वर मिलाकर यह कहा है कि अश्लील कार्यक्रम आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशन के कार्यक्रम आ रहे हैं, इन पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है । उपसभाधक्ष जी, आप जानते हैं कि वास्तव में यह मेरी चिन्ता ज्यादा रही है। मुझे इस बात का दुख भी है कि कंटेंट रेगुलेशन के लिए जो बॉडी हम लोग लाना चाहते थे, वह बॉडी कन्वरजेंस कमीशन के कारण रूकी पड़ी हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इस तरह की कंटेंट रेगुलेशन के लिए चाहे कोई ब्रॉड कास्टर्स काउन्सिल, कोई मीडिया काउन्सिल बने या कन्वरजेंस कमीशन आये, एक कंटेंट रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता है। एक ऐसा फोरम जहां नागरिक कम से कम अपनी बात तो रख सके और उसको वहां से समाधान मिल सके निश्चिय तौर पर हम इस ओर आगे बढेगें । जो बात बी.जे. पंडा जी ने यहां पर कही, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं हैं, क्योंकि लगता है कि उन्होंने इस पूरे बिल के हर वाक्य को नहीं, हर अक्षर को उन्होंने पढ़ा था और उसको बहुत सही परिप्रेक्ष्य मे समझा और उतने ही आर्टिकुलेट तरीके से उसको सदन में रखा। एक चिन्ता जो आपने रखी कि गवर्नमेंट टेक्नालॉजी का मेंडेंट न करे, गवर्नमेंट मेंडेंट न करें प्राइसिंग तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी बिल में हमने कहीं मेंडेंट नहीं किया है। जहां तक टेक्नालॉजी का सवाल है, हमने उसको खुला रखा है। अगर आप सैक्शन 4ए (1) पढ़ेंगे :-

> New Section 4A (8) says, "The cable operator shall not require any subscriber to have a receiver set of a particular type to receive signals of cable television network".

पर्टीकुलर टाइप की मेंडेटिंग हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि एनोलॉग और डिजिटल दोनों रहेगा । हम कम से कम इंटरवेशन करके उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा राहत देना चाहते हैं। यही हम लोगों की पूरी मंशा है । इसलिए कम से कम मेंडेटिंग हमने की है और टेक्नालॉजी को हम लोगों ने मेंडेट नहीं किया है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, बेसिक सर्विस टियर की प्राइसिंग मेंडेट इसलिए करनी पड़ेगी, वरना वह यह भी कर सकता है कि पे चैनल तो कोई लेगा नहीं । अगर हम वहां पर सेट टॉप बॉक्स नहीं रख रहे हैं तो बेसिक सर्विस टियर में कमा लो । और आपने स्वयं कहा कि वहां वह अपने इनफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकाल ले । एक इनफ्रास्ट्रक्चर जो उसने लगा दिया, केबल सर्विस वह दे रहा है, ब्रॉडकास्टर को उसने बेसिक सर्विस टीयर में कुछ देना नहीं हैं, तो वहां यह उपभोक्ता पर ज्यादा बोझ क्यों डाले ? वहां कम से कम गवर्नमेंट इंटरनेशन की जरूरत है इसलिए हम लोगों ने मैनडेटिंग प्राइसिंग केवल बेसिक सर्विस टीयर की रखी है, पे चैनल को हम मैनडेट नहीं कर रहे हैं । पे चैनल को हम केवल यही कह रहे हैं कि ईच पे चैनल की वह सूची टांग दे और टैक्नोलॉजी में हम मैनडेट नहीं कर रहे हैं । मुझे लगता है कि इतने कम इंटरवैंशन से, इतनी ज्यादा राहत उपभोक्ताओं को दिलाने का काम यह विधेयक कर रहा है । राजीव जी ने जो दो सवाल उठाए थे, उन दोनों का जवाब मैंने दिया। जो आपने कहा कि शराब का विज्ञापनआप डी.डी. को भी दे दो तो वह बिल्कुल नहीं देंगे, बाकी जगह का भी बंद करेंगे । बाकी जो आपने कहा कि यह विधेयक उपभोक्ता को राहत दिलवाने वाला है, वाकई उपभोक्ता को ही सामने रखकर हम इस विधेयक

को लेकर आए हैं। श्री फाली एस. नारीमन जी ने भी इसका समर्थन किया और जब उनकी तरफ से समर्थन आता है तो एक अलग ढंग का आत्मविश्वास मन में आता है क्योंकि वह किसी भी बिल को इस दृष्टि से भी देखते हैं कि इसमें कहीं कोर्ट में जाने वाली कोई चीज तो नहीं है, इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हो गयी है, इसमें कोई ऐसी अनकॉन्स्टीटयूश्नल चीज तो नहीं आ गयी, जो स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी । इसलिए जब फाली एस. नारीमन जी ससंद में खड़े होकर खासकर किसी विधेयक का समर्थन करे तो हमें लगता हैं कि हर दृष्टि से यह बिल पास हो गया है और इसमें कुछ अनकॉन्स्टीयूशनल, कुछ असंवैधानिक बात लेकर हम लोग नहीं आए हैं । मुझे लगता है कि मेरे 15 के 15 साथियों की बातों का जवाब मैंने दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि बहुत छोटे संशोधन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं, बहुत दूरगामी प्रभाव करने वाले हैं । एक चीज से हमने तीनों निशाने साधे हैं। इस बिल के माध्यम से, जब यह बिल कानून बन जाएगा तो उपभोक्ता को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि उसके घर में वही चैनल आएगा, जो वह देखना चाहेगा । वह उसी का पैसा देगा, जो वह देखेगा । यह बहुत बड़ी राहत होगी । केबल ऑपरेटर को जो जबरन वसूली करनी पड़ती थी और बदनामी ओटनी पड़ती थी, वह उस जबरन वसूली से बाज आएगा और वह जबरन वसूली के लिए मजबूर नहीं होगा, उसकी बाध्यता नहीं होगी । इसके अतिरिक्त ब्रॉडकास्टर जो कहता था कि केबल ऑपरेटर अंडर रिपोटिंग करता हैं, उसमें पारदर्शिता आ जाएगी क्योंकि वह बाकायदा सरकार को बताएगा और यह कहेगा कि मेरे सबस्क्राइबर्स कितने हैं , उसमें बेसिक टीयर के कितने हैं , पे चैनल के कितने हैं । ये सारी की सारी चीज जो ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनी हुई थी, उसका भी समाधान हो जाएगा। चौथी चीज जिसकी तरफ श्री बी.जे.पंडा जी ने ध्यान मेंडेटिंग दिलवाया था कि गवर्नमेंट विक्टिम थी, गवर्नमेंट के पास रैवैन्यू नहीं आता था । जब आप कम रिपोटिंग करेंगे तो इंटरटेनमैंट टैक्स भी आपके पास कम आएगा, रैवेन्यू भी आपके पास कम आएगा। इससे सरकार को भी पूरे का पूरा रैवेन्यू मिलेगा । इस प्रकार एक ही बिल के माध्यम से तीनों का समाधान और बहुत पारदर्शी तरीके से उपभोक्ता को राहत – यह दिलाने की कोशिश इसमें हमने की है। एक विषय पृथ्वीराज चव्हाण जी ने उठाया था जो बिल से अलग था, उसको मैं इसलिए बिल्कुल अंत में ले रही हूं । उन्होंने बात करते करते कहा था कि फॉरेन इनवैस्टमेंट इन ब्राइकास्टिंग सैक्टर – यह आज का और प्रासंगिक विषय है और उन्होंने कहा था कि सरकार क्वाइटली इस पर कुछ न कर ले अच्छा है इस पर चर्चा कराए मुझे इसमे कोई आपत्ति नही है क्वाइटली न इस सरकार ने कुछ किया है और न क्वाइटली कुछ करना चाहती है । निश्चित तौर पर यह एक मेजर पॉलिसी डिसीजन है । अगर पृथ्वीराज जी सदन मे इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं । वह नोटिस दे दें और चेरयमैंन साहब अगर अनुमति देंगे तो इसी सत्र में मैं उस पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार हूं । इसके अलावा इस बिल पर मुझे जो समर्थन आप सबसे मिला, उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं सांसदों से कहना चाहूंगी कि अब इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें । धन्यवाद।

श्री सतीश प्रधान : सर, मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं । अमरीका में और पूरे यूरोप मे जो टी.वी. पर ऐड आती है उस संबंध में पे चैनल पर ऐडवरटाइजमेंट करना मना है । क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी ? दूसरा, केबल जो शहर में एक जगर से दूसरी जगह ले जाई जाती है वह टैरेस से पेड के ऊपर, पेड़ से पोल पर, फिर पोल से कहीं ओर कही भी घुमाई जाती है, उसमें किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता जिससे ऐक्सीडेंट भी हो सकते हैं । क्या इस विषय पर सरकार का ध्यान गया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष महोदय, दो विषय उन्होंने रखे हैं। कुछ देशों में इस तरह की व्यवस्था है कि जो पे चैनल हैं, वह विज्ञापन नहीं ले सकते और जो विज्ञापन लेते हैं, वे पे चैनल नहीं हो सकते। इस प्रकार की व्यवस्था है और उसे देखा जा सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, वह म्यूनिसिपल कमेटी के लॉज में आती है क्योंकि नगर पालिका या जिला परिषदें, जहां जहां वह एरिया है, उसको देखती हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं हैं।

श्री राजीव शुल्क : सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : एक मिनट...आप पूछिए जरूर, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि ये मंत्री महोदया ऐसी हैं कि आप दो सवाल पूछेंगे तो दे छः का जवाब देंगी। वे थॉरों हैं बिलकुल।

श्री राजीव शुल्क : कम मंत्री ही ऐसे मिलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : बोलिए ....बोलिए।

श्री राजीव शुल्क : महोदय, मैं यह कह रहा था जितना सुषमा जी काम कर रही हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। टी.आर.पी. को लेकर बहुत विवाद रहता है। 13 हजार करोड़ की किटी है और कुछ प्राइवेट कंपनियां तय करती हैं कि किस प्रोग्राम की क्या टी.आर.पी. है। तो गवर्नमेंट अगर कोई कमीशन बनाए जहां फेयर टी.आर.पी. का पता लगाया जाए तो मेरे ख्याल से यह जो इतनी बड़ी धनराशि है, उसको एकाध कंपनी ही तय करे, इस तरह की बात खत्म हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है यह। ...(व्यवधान)....

उपसभापध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : एक मिनट.... नीलोत्पल जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री नीलोत्पल बसु : पहले तो मैं मंत्री जी से माफी मांगना चाहूंगा कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और मैं जवाब पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन मेरा कसर्न अभी भी यही है कि टेक्नालॉजी का क्या होगा? क्योंकि जो सेट टॉप बॉक्स है, जो रूल बताते हैं ...(व्यवधान)...

कुछ माननीय सदस्य : जवाब आ गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : उसका जवाब दिया है मंत्री जी ने। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : कैसे होगा? डिजिटल टेक्नालॉजी में यह सेट कैसे फंक्शन करेगा ? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : दोनों तरह के सेट होंगे ...(व्यवधान)... एक मिनट .... दोनों तरह के सेट होंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लस नहीं है। दोनों सेट लगा सकते हैं । मंत्री जी, अब आप इनका जवाब दे दीजिए ।...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बगांल) : सर, बक्सा भी मिल जाएगा ऐसे ही ?

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : बक्सा भी मिल जाएगा ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : बिना प्राइस के ?

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : बिना प्राइस के तो स्माइल भी नहीं मिलती है, आप बक्से की बात कर रहे हैं ?

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) **:** सुषमा जी, इससे पहले कि जवाब दें, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं । फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड बना है और टेलीविजन के लिए संभवतः इसी प्रकार का कोई सेसर बोर्ड होगा जो गाइडलाइन्स के आधार पर कंटेट्स पर अंकुश डालेगा । मेरा कहना यह है कि उससे काम नहीं बनता जब तक कि इंप्लिमेंटेशन न हो । मैं चेयरमैंन, सेंसर बोर्ड रह चुका हूं । वह जो सेंसर्ड पोर्शन दोबारा डालकर इंटरपोलेट करके फिर चालू कर देते हैं, उसको पुलिस के पास छोड़ रखा है लेकिन पुलिस के पास फुर्सत नही हैं । तो यह निवेदन था कि सिनेमा विजिलेस और ....(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी : आपको इसीलिए बनाया गया था क्योंकि आप दोनों में थे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : एक मिनट ....एक मिनट... आप बोलिए ।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मेरा काम सिर्फ सेसर करना था, इंप्लिमेंटेशन का काम पुलिस का था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : मेरा काम सिर्फ सेसर करना था, इंप्लिमेटेशन का काम पुलिस का था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप बोलिए ।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सिनेमा विजिलेंस का आप एक ऐसा व्यापक नेटवर्क बनाएं हर शहर में, उसी तरह से टेलीविजन विजिलेंस का बनाए । आप Identity Card नंबर दे दें, कि हां, उनकी डयूटी है, वे कंटेंट्स पर कमेंट्स भेजेंगे । तो उससे बहुत व्यापक रूप से आपको कंटेट्स पर कमेंटस मिल सकेंगे और सेंसर बोर्ड भी जो काम कर रहा है, उसकी इफेक्टिविटी हो जाएगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : मंत्री महोदया, आप संक्षेप में जवाब दे दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजीव जी का सवाल है , यह बिल अपने आप में टी.आर.पी. का बहुत माकूल जवाब हैं । जब तक सी.ए.एस. नहीं था तब तक यह पता ही नहीं चलता था , जैसा मैंने कहा, क्योंकि हर चैनल हर घर में जाता था । और देखना यह पड़ता था कि वे उसको देख भी रहे हैं या नहीं ? अब तो उसके घर में वहीं चैनल जाएगा जो वह देखेगा। वह अपने आप में टी.आर.पी. हैं । जब केबल ऑपरेटर पूछेंगा कि आपको कौन सा चैनल चाहिए तो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू कौन से चैनल कितने घरों में जा रहे हैं, इससे बड़ी टी.आर.पी. क्या होगी ? यह तो सबसे प्रामणिक जानकारी होगी । इसलिए टी.आर.पी. के लिए अब किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। सी.ए.एस. और यह सेट टॉप बॉक्स अपने आप में टी.आर.पी. को तय करेगा ।

श्री राजीव शुल्क : चैनल के टी.आर.पी. और प्रोग्राम के टी.आर.पी. के बारे में मैंने कहा था ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक चैनल का सवाल है, चैनल की व्युइंग प्रोग्राम के आधार पर ही होती है । अगर किसी को किसी चैनल के प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते हैं तो उस चैनल को वह क्यों लेगा? चैनल को प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तभी तो टी.आर.पी. आती है।

जहां तक नीलोत्पल जी का सवाल है, जवाब मैं पहले दे चुकी हूं, वरना सदन का समय बेकार जाएगा । सिंहल जी का तो सवाल था ही नहीं, उनका तो सजेशन है फॉर ऐक्शन, तो उनके सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे ।

श्रीमती सरोज दुबे : सर, मेरा भी एक छोटा सा सवाल था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : एक मिनट.....आप बैठिए....आपको चांस मिलेगा ।

The question is:

"That the Bill, further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Dr. M.N. Dasji. You have one minute.

DR. M.N. DAS (Orissa): Thank you. Through you, hon. Vice-Chairman, Sir, may I make a humble appeal to the hon. Minister, Madam Swarajji, to agree -- of course, in consultation with the Business Advisory Committee - to fix a time for a Short Duration Discussion on the qualitative aspect and on the content analysis of the shows, serials and advertisements which are being shown by some of the TV channels like Star, Zee, etc., and to discuss, how far such shows and serials adversely affect the minds of the present generation as well as the future generation? We may discuss it threadbare.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसका इस बिल से क्या संबंध है? यह बिल तो पारित करिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : एक मिनट आप सुन लीजिए । श्रीमती सरोज दुबे ।

श्रीमती सरोज दुबे : मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि ये जो चैनल हैं ये मनोरंजन कर नहीं देते हैं जबकि मनोरंजन की सामग्री उन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है। मैंने और भी कई सवाल उठाए थे, अश्लीलता और अन्य के बारे में तो मुझे उनका भी जवाब नही मिला है। तीसरी बात यह थी कि इलैक्ट्रोकिन मीडिया द्वारा जो हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है,इन चारों बातों को लेकर आपने मेरी बातो का उत्तर देना उचित नहीं समझा है और आपने उनको टाल दिया है। मैं थोड़ा संक्षेप में जानना चाहूंगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : ठीक है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, आप सीट पर विराजमान हैं । आप बताइए कि मैंने अश्लीलता का और अन्य का जवाब दिया कि नहीं, मैंने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : हां जवाब दे दिया है । अब आप रहने दो । दोबारा जवाब मत दो ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक मनोरंजन कर का सवाल है , वह स्टेट सब्जेक्ट है, इन्टरटेन्मेंट टैक्स है। इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : आप बोल चुकी हैं । जो आप बोल चुकी हैं, वह नहीं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : बल्कि मैंने आपको कहा कि अजय मारू जी ने आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए ये प्रश्न उठाए । एक-एक का जवाब दिया है मैंने । ....(व्यवधान)... पता नहीं आपका ध्यान कहां था ।...(व्यवधान)... आप मेरा लिखित जवाब मंगाकर पढ़ लीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): The question is,

"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, we take up for consideration The Biological Diversity Bill, 2002.

THE BIOLOGICAL DIVERSITY BILL, 2002

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): I beg to move:

> "That the Bill to provide for conservation of Biological Diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I have the proud privilege of introducing the motion for consideration of a Bill which aims at regulating the access to and conservation of our rich and diverse eco-systems. This Bill has been unanimously passed by the Lok Sabha.

Biodiversity, the variety of life on earth, is the backbone for any country's ecological security and livelihood security of its people. It constitutes the resources upon which human beings, communities, nations and future generations depend.